पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–14] रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2013 ई0 (अग्रहायण 09, 1935 शक सम्वत्) [संख्या–48

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	561–592	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	483–541	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पशुपालन अनुभाग–2

25 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 880/07(03)/2008 (मत्स्य)–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2003) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जल क्षेत्रों में मत्स्य सम्पदा के संवर्द्धन, संरक्षण, मत्स्य विकास, प्रबन्धन, मत्स्य पालन तथा संग्रहण हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड मत्स्य नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य जल प्रबन्धन मत्स्य पालन एवं संग्रहण नियमावली, 2013 है। (2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएँ	2.	जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:– (1) **"अधिनियम"** से उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है; (2) **"बीट"** का वही अर्थ होगा जो इस नियमावली में मछली शिकारमाही के लिए निर्धारित सीमा क्षेत्र नियत है; (3) **"निदेशक"** से निदेशक, मत्स्य उत्तराखण्ड अभिप्रेत है; (4) **"ताल"** से झील, तालाब, झोहड़, पोखर आदि अभिप्रेत है; (5) **"तौल केन्द्र"** से निदेशक या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा नियत किया गया ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां पकड़ी गई मछलियों को एकत्र किया जाता है; (6) **"लाईसेन्स"** से इस नियमावली के अधीन मत्स्य विभाग/अन्य सम्बन्धित विभागों की कार्यदायी संस्था/इकाई को जारी लाईसेन्स अभिप्रेत है; (7) **"परमिट"** से इस नियमावली के अधीन एग्लिंग/मत्स्य आखेट हेतु सक्षम संस्था/व्यक्ति/अधिकारी द्वारा जारी की जाने वाली अनुमति अभिप्रेत है; (8) **"एग्लिंग"** से मत्स्य क्रीड़ा/मत्स्य आखेट अभिप्रेत है; (9) **"परिशिष्ट"** से इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत है; (10) **"ट्राउट जलक्षेत्र"** से नदियों या जलधाराओं का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहॉ ट्राउट मछली का विकास किया जा रहा है;

		(11) "**महाशीर जलक्षेत्र** " से नदियों या जलधाराओं और झीलों का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहॉ महाशीर एक मुख्य मछली के रूप में है; (12) "**सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग)**" से पर्वतीय भाग के नदी या जलधाराओं का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो स्नो ट्राउट के लिए है तथा महाशीर के लिए मुख्य जलक्षेत्र नहीं है; (13) "**मेजर कार्प जलक्षेत्र (मैदानी भाग)**" से मैदानी भाग के नदी, या जलधाराओं एवं तालाब का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहॉ भारतीय मेजर कार्प प्रजाति की मछलियां मुख्य मछली के रूप में है; (14) "**वर्ष**" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ; (15) "**राज्य**" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है।
व्यक्तिगत जलक्षेत्र से इतर जलक्षेत्रों की घोषणा	3.	(1) राज्य सरकार व्यक्तिगत जलक्षेत्र से इतर निम्नवत् जलक्षेत्रों की अधिसूचना द्वारा घोषणा करेगी, अर्थात– **(क)** नदियॉ एवं जल धाराए। **(ख)** झीलों के जलक्षेत्र। **(ग)** जोहड़, पोखर एवं तालाब (मैदानी भाग) जलक्षेत्र। **(घ)** जलाशय जलक्षेत्र। (2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा भौगोलिक एवं मत्स्य प्रजाति की अनुकूलता एवं उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होने वाली सभी नदियों एवं जलधाराओं को निम्नवत् जलक्षेत्रों में विभाजित कर सकेगी, अर्थात्– **(क)** नदियों एवं जल धाराओं के ट्राउट जलक्षेत्र। **(ख)** नदियों एवं जल धाराओं के महाशीर जलक्षेत्र। **(ग)** नदियों एवं जलधाराओं के सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग)। **(घ)** नदियों एवं जलधाराओं के मेजर कार्प जलक्षेत्र (मैदानी भाग)। (3) ट्राउट जलक्षेत्र में हिमनदों से आपूर्त होने वाले तेज प्रवाह की छोटी शीतल जलधारायें जो ट्राउट प्रजाति की मछलियों के लिए उपयुक्त है, में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होगें, अर्थात्– **(एक)** पावर नदी, टौंस नदी एवं इसकी सहायक नदियां त्यूनी से ऊपर उत्तरकाशी एवं देहरादून जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र, **(दो)** पिन्डर नदी एवं इसकी सहायक नदियां कर्णप्रयाग से ऊपर। नन्दाकिनी नदी एवं इसकी सहायक नदियां नन्दप्रयाग से ऊपर। बालखिला नदी, बालखिला से ऊपर। बिरही नदी, बिरही से ऊपर एवं कल्पगंगा हेलंग से ऊपर, जनपद चमोली के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(तीन) मन्दाकिनी नदी एवं इसकी सहायक नदियां अगस्त्यमुनी से ऊपर जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(चार) अस्सी गंगा नदी गंगोरी से डोडीताल तक तथा भागीरथी नदी एवं इसकी सहायक नदियां गंगोरी से ऊपर जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(पांच) सरयू नदी एवं इसकी सहायक नदियां कपकोट से ऊपर बागेश्वर जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(छः) पूर्वी रामगंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियां तेजम से ऊपर पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(सात) गौरी नदी इसकी सहायक नदियां मदकोट से ऊपर पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र, और

(आठ) काली नदी एवं इसकी सहायक नदियां धौली नदी सहित धारचूला से ऊपर पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र।

(4) महाशीर जलक्षेत्र में प्राकृतिक स्रोत वाली मध्यम प्रवाह की छोटी जलधारायें जो महाशीर प्रजाति की मछलियों के लिए उपयुक्त है, में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होगें–

(एक) यमुना नदी एवं इसकी सहायक नदियॉ बड़कोट से डाकपत्थर एवं आसन बैराज तक एवं सौंग नदी देहरादून जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(दो) गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियां देवप्रयाग से हरिद्वार तक, पौडी, टिहरी एवं देहरादून जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(तीन) नयार नदी एवं इसकी सहायक नदियां, खोह नदी जनपद पौड़ी के अन्तर्गत। पश्चिमी रामगंगा एवं इसकी सहायक नदियां,नाचनी से रामेश्वर के मध्य जनपद पौड़ी एवं अल्मोड़ा के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(चार) पश्चिमी रामगंगा एवं इसकी सहायक नदियां, कोसी नदी एवं इसकी सहायक नदियां खैरना पुल तक अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(पांच) काली नदी इसकी सहायक नदियां ठुली गाड से बूम तक पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(छः) लधिया नदी एवं इसकी सहायक नदियां, लोहावती नदी एवं इसकी सहायक नदियां तथा काली नदी एवं इसकी सहायक नदियां चम्पावत जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र, और

(सात) सरयू नदी एवं इसकी सहायक नदियां शेराघाट से पंचेश्वर के मध्य एवं गोमती नदी एवं इसकी सहायक नदियां बागेश्वर जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र।

(5) सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग) में धीमे प्रवाह की बड़े–बड़े पाट वाली बडी नदियां सम्मिलति है,जो स्नोट्राउट प्रजाति की मछलियों हेतु अनुकूलित है, में निम्नलिखित जलक्षेत्र सम्मिलित होंगे–

(एक) टोंस एवं इसकी सहायक नदियॉ त्यूनी से डाकपत्थर तक जनपद देहरादून के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(दो) भागीरथी नदी एवं इसकी सहायक नदियां गंगोरी से धरासू तक, जनपद उत्तरकाशी एवं टिहरी बांध से देवप्रयाग तक, जनपद टिहरी के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(तीन) भिलंगना नदी एवं इसकी सहायक नदियां पिलखी से ऊपर जनपद टिहरी के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(चार) यमुना नदी एवं इसकी सहायक नदियां बड़कोट से डामटा तक, जनपद उत्तरकाशी। डामटा से यमुना ब्रिज तक जनपद टिहरी एवं देहरादून तथा यमुना ब्रिज से नीचे जनपद देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(पांच) गंगा नदी देवप्रयाग से ऋषिकेश तक जनपद टिहरी एवं पौडी, ऋषिकेश से हरिद्वार तक जनपद देहरादून एवं पौडी तथा हरिद्वार से नीचे उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक,

(छः) अलकनन्दा नदी एवं इसकी सहायक नदियां देवप्रयाग से खांकरा तक जनपद टिहरी एवं पौड़ी, खांकरा से घोलतिर तक जनपद रूद्रप्रयाग तथा घोलतिर से ऊपर जनपद चमोली के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(सात) मन्दाकिनी नदी एवं उसकी सहायक नदियां रूद्रप्रयाग से अगस्त्यमुनी तक जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(आठ) सम्पूर्ण पश्चिमी रामगंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियां चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा एवं नैनीताल जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(नौ) कोसी नदी एवं इसकी सहायक नदियां खैरना पुल से ऊपर नैनीताल एवं अल्मोड़ा जनपद के अर्न्तगत के क्षेत्र,

(दस) सरयू नदी एवं इसकी सहायक नदियां कपकोट से सेराघाट तक अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

		(ग्यारह) पूर्वी रामगंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियां नाचनी से तेजम के मध्य जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत के क्षेत्र, (बारह) काली नदी एवं इसकी सहायक नदियां झूलाघाट से धारचूला के मध्य जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत के क्षेत्र, और (तेरह) गौरी नदी एवं इसकी सहायक नदियां जौल जीवी से मदकोट के मध्य जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत के क्षेत्र। **(6)** नदियों एवं जलधाराओं के मेजर कार्प जलक्षेत्र (मैदानी भाग) में निम्नलिखित जलक्षेत्र सम्मिलित होंगें– **(एक)** जनपद हरिद्वार अन्तर्गत गंगा नदी एवं उसके ढाब तथा अन्य नदियां उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक, और (दो) जनपद उधमसिंह नगर अन्तर्गत शारदा नदी एवं अन्य नदियां राज्य की सीमा तक। **टिप्पणी– उत्तराखण्ड की मुख्य नदियां एवं उनकी सहायक नदियों का विवरण परिशिष्ट–एक पर उल्लिखित है।**
झीलों के जलक्षेत्र	4.	**(क)** राज्य सरकार ऐसे जलक्षेत्र जहॉ प्राकृतिक रूप से मत्स्य सम्पदा उपलब्ध हो तथा जिनका क्षेत्रफल 0.2 हैक्टेयर से अधिक तथा 1000 से 4000 मीटर ए.एस.एल. में स्थित हो, को निम्नवत् विभाजित कर सकेगी:– **(एक)** वे सभी ताल या प्राकृतिक जलक्षेत्र जो 1500 मीटर ए.एस. एल. से अधिक ऊंचाई में स्थित है तथा जिसमें ट्राउट मछली उपलब्ध है या भविष्य में ट्राउट प्रजाति की मछलियों के संवर्द्धन, संरक्षण एवं विकास किया जा सके। **(दो)** वे सभी ताल या प्राकृतिक जलक्षेत्र जो 1500 मीटर ए.एस. एल. से कम ऊंचाई में स्थित है तथा जिसमें महाशीर मछली उपलब्ध है या भविष्य में महाशीर प्रजाति की मछलियों के संवर्द्धन, संरक्षण एवं विकास किया जा सके। **(तीन)** वे सभी प्राकृतिक जलक्षेत्र या ताल जो 1000 मीटर ए.एस. एल. से कम ऊंचाई पर स्थिति है और जिसमें मछली उपलब्ध है या उत्पादित की जा सकती है। **टिप्पणी– उत्तराखण्ड के मुख्य ताल/झीलों का विवरण परिशिष्ट–दो में उल्लिखित है।** **(ख) (एक)** मैदानी क्षेत्र के ऐसे जलक्षेत्र जहां मत्स्य सम्पदा हो और जिनका क्षेत्रफल 0.20 हैक्टेयर से अधिक है।

		(दो) ऐसे जलाशय जिसमें मछली उपलब्ध है या उत्पादित की जा सकती है, में नदी प्रणाली पर तैयार सभी कृत्रिम जलक्षेत्र सम्मिलित है, जिनका विभिन्न कार्यो में उपयोग हो रहा है या भविष्य के लिए प्रस्तावित है। **टिप्पणी– (एक) उत्तराखण्ड के मुख्य जलाशयों का विवरण परिशिष्ट–तीन पर उल्लिखित है।** टिप्पणी– (दो) इस नियमावली के उपर्युक्त नियम 3(1) क, ख, ग एवं घ में उल्लिखित जलराशियों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत वे समस्त जलराशियॉ जिनका ऊपर उल्लेख नहीं हुआ है, किन्तु वे व्यक्तिगत जलक्षेत्र नहीं है पर भी यह नियमावली लागू होगी।
जलक्षेत्रों का नियतन और नोडल प्राधिकारी की नियुक्ति	5.	राज्य सरकार नदी एवं जलधाराओं, झीलों, तालाबों, जलाशयों पर स्वामित्व का अधिकार वन विभाग, ग्राम पंचायत, ग्राम समाज, सिचांई विभाग तथा स्थानीय निकायों आदि में यथावत बनाये रखने हेतु आदेश जारी कर सकेगी, परन्तु यह कि राज्य सरकार ऐसे जलक्षेत्रों में मत्स्य सम्पदा के संवर्द्धन, संरक्षण, मत्स्य विकास, प्रबन्धन, मत्स्य पालन एवं संग्रहण आदि कार्यो के निष्पादन हेतु नोडल प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी। ऐसा प्राधिकारी इस नियामवली के संगत उपबन्धों के अधीन उक्त कार्यो का सम्पादन करेगा।
मत्स्य आखेट हेतु जलराशि के क्षेत्रफल का निर्धारण व मत्स्य आखेट की प्रकिया	6.	(1) राज्य सरकार पर्वतीय भाग एवं मैदानी भाग की नदियां, जलाधाराएं झीलें एवं जलाशय आदि को मात्स्यिकी विकास एवं आखेट की दृष्टि से निम्नवत् विभाजित कर सकेगी :– **(क)** नदियों एवं जलधाराओं के ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र तथा ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र की झीलें; **(ख)** नदियों एवं जलधाराओं के सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग) तथा सामान्य जलक्षेत्र झीले (पर्वतीय भाग); **(ग)** जोहड़, पोखर एवं तालब मैदानी भाग (जलक्षेत्र); **(घ)** जलाशय जलक्षेत्र; **(ड)** राज्य के मैदानी भाग की नदियां।

		(2) (एक) राज्य सरकार नदियों एवं जलधाराओं के ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र को आवश्कतानुसार (एक) किलोमीटर से (पॉच) कि0मी0 दूरी तक के बीट में तथा ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र की झीलों को उनके आकार के आधार पर न्यूनतम 500 मीटर तक के बीट में आदेश द्वारा विभाजित कर सकेगी। **(दो)** नियम 5 में नियत निकाय द्वारा सम्बन्धित विभाग/विभागों की सहमति से मत्स्य कीड़ा/आखेट हेतु स्थानीय स्तर (ग्राम पंचायत स्तर) पर पंजीकृत स्वंय सहायता समूह, सहकारी समितियॉ, महिला मंगलदल एवं युवक मंगलदल को नीलामी प्रकिया के द्वारा निविदाएं आमंत्रित कर उच्चतम बोली/निविदा के आधार पर बीट आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु यह कि यदि ग्राम पंचायत स्तर पर उक्त संस्थाएं उपलब्ध न हो तो न्याय पंचायत स्तर की उपर्युक्त संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जा सकेगा, परन्तु यह कि न्याय पंचायत स्तर पर भी उक्त संस्थाएं उपलब्ध न हो तो ब्लाक स्तर की और ब्लाक स्तर पर भी उपलब्ध न हो तो जिला स्तर की उपर्युक्त संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जा सकेगा। **(तीन)** बीट आवंटन प्राप्त कार्यदायी संस्था द्वारा विदेशी पर्यटकों, देशी पर्यटकों तथा स्थानीय ग्रामीणों को ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा राज्य सरकार समय–समय पर निर्धारित करें, एग्लिंग परमिट निर्गत किया जायेगा। **(चार)** उपनियम (2)(एक) में उल्लिखित क्षेत्र में मत्स्य आखेट मात्र एग्लिंग रॉड के माध्यम से किया जा सकेगा। **(पांच)** उपनियम (2)(एक) में उल्लिखित क्षेत्र की बीटों की निविदा की शर्ते समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। **(3)(एक)** राज्य सरकार सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग) को आवश्यकतानुसार (एक कि0मी0) से (पांच कि0मी0) की दूरी तक तथा सामान्य झीलों (पर्वतीय भाग) को उनके आकार के आधार पर न्यूनतम (पॉच सौ) मीटर तक के बीट में आदेश द्वारा विभाजित कर सकेगी।

		(दो) नियम 5 में नियत निकाय द्वारा सम्बन्धित विभाग/विभागों की सहमति से मत्स्य कीड़ा/आखेट हेतु स्थानीय स्तर (ग्राम पंचायत स्तर) पर पंजीकृत स्वंय सहायता समूह, सहकारी समितियॉ, महिला मंगलदल एवं युवक मंगलदल को नीलामी प्रकिया के द्वारा निविदाएं आमंत्रित कर उच्चतम बोली/निविदा के आधार पर बीट आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु यह कि यदि ग्राम पंचायत स्तर पर उक्त संस्थाएं उपलब्ध न हो तो न्याय पंचायत स्तर की उपर्युक्त संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जा सकेगा, परन्तु यह कि न्याय पंचायत स्तर पर भी उक्त संस्थाएं उपलब्ध न हो तो ब्लाक स्तर की और ब्लाक स्तर पर भी उपलब्ध न हो तो जिला स्तर की उपर्युक्त संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जा सकेगा। **(तीन)** बीट आवंटन प्राप्त कार्यदायी संस्था द्वारा विदेशी पर्यटकों, देशी पर्यटकों तथा स्थानीय ग्रामीणों को ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा राज्य सरकार समय–समय पर निर्धारित करें, एग्लिंग परमिट एवं मत्स्य आखेट परमिट निर्गत किया जायेगा। **(चार)** उपनियम (3)(एक) में उल्लिखित क्षेत्र में मत्स्य आखेट एग्लिंग (एग्लिंग रॉड के माध्यम से) के साथ–साथ 2.00 इंच या उससे बड़े फन्दे वाले जाल से करने की अनुमति होगी। **(पांच)** उपनियम (3)(एक) में उल्लिखित क्षेत्र के बीटों की निविदा की शर्तें समय–समय पर राज्य द्वारा निर्धारित की जाएंगी। **(4)(एक)** राज्य सरकार मैदानी भाग में विद्यमान ग्राम समाज के जोहड़, पोखर एवं तालाबों में मत्स्य पालन एवं शिकारमाही की प्रबंध व्यवस्था ग्राम पंचायतों के प्रचलित नियमों, अधिनियमों के अनुसार कर सकेगी। **(दो)** स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आने वाले जोहड़, पोखर एवं तालाबों में मत्स्य पालन एवं शिकारमाही की प्रबंधन व्यवस्था स्थानीय निकायों के प्रचलित नियमों, अधिनियमों के अनुसार सम्पादित की जा सकेगी। **(5)** राज्य सरकार समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो के क्रम में मैदानी भाग में विद्यमान जलाशयों/मत्स्य आखेट हेतु नियम 5 में उल्लिखित निकाय के नियत्रंणाधीन विद्यमान जलाशयों तथा पर्वतीय

		एवं मैदानी भागों में स्थापित या स्थापित होने वाले समस्त मानव निर्मित जलाशयों (डैम एवं बैराज) में मत्स्य आखेट खुली निलामी द्वारा सम्पादित कर सकेगी। **(6) (एक)** राज्य सरकार मैदानी भाग में विद्यमान नदियों को आवश्यकतानुसार एक किमी0 से तीन किमी0 के बीट में विभाजित कर नीलामी प्रकिया के द्वारा खुली निविदाएं आमंत्रित कर सकेगी और उच्चतम निविदा/बोली के आधार पर बीट आवंटन की कार्यवाही सम्पादित कर सकेगी। **(दो)** उक्त जलक्षेत्र में समस्त मान्य विधियों द्वारा मत्स्य आखेट की अनुमति होगी।
बीट आवंटन हेतु समिति का गठन	7.	राज्य सरकार नदियों एवं जलधाराओं के ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्रों, नदियों एवं जलधाराओं के सामान्य जलक्षेत्रों (पर्वतीय भाग), ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र की झीलों तथा सामान्य झीलों (पर्वतीय भाग) में बीट आवंटन हेतु एक समिति का गठन कर सकेगी, जिसमें निम्नलिखित होगें:– **(1)** बीट आवंटन करने वाले विभाग का विभागाध्यक्ष/निदेशक – अध्यक्ष **(2)** उक्त विभाग के संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक स्तर का अधिकारी– सदस्य सचिव। **(3)** सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य। **(4)** नियम 5 के अधीन उल्लिखित निकाय का प्रतिनिधि – सदस्य
बीट आवंटन की प्रकिया	8.	**(1)** जिला स्तरीय मत्स्य अधिकारियों द्वारा जलराशियों से सम्बन्धित विभागों से विचार–विमर्श कर आवंटित किये जाने वाले बीटों का विवरण निदेशक मत्स्य के माध्यम से बीट आवंटन समिति को प्रस्तुत किया जायेगा, जो इस हेतु निविदाएं आमंत्रित करेगी। **(2)** निविदा सम्बन्धी दिशा–निर्देश राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागीय सचिव (वह विभाग जो बीट आवंटन की कार्यवाही कर रहा हो) द्वारा मत्स्य विभाग की सहमति से (यदि मत्स्य विभाग बीट आवंटित न कर रहा हो) निर्धारित किए जाएंगे। **(3)** निविदा की अन्य प्रकिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार की जाएगी। **(4)** बीटों के ठेके की अवधि 5(पाँच) वर्ष होगी तथा अवधि की गणना आगामी 30 जून तक की अवधि को सम्मिलित कर की जायेगी।

		(5) निविदाओं में प्रतिभाग करने वाले निविदादाता इकाई द्वारा निविदा की शर्तों की सहमति हेतु सहमति पत्र धरोहर की धनराशि तथा संबंधित जनपद के जिलाधिकारी से प्रदत्त संस्था की पृष्ठ भूमि संबंधी प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर संबंधित निविदादाता की निविदा को नहीं खोला जायेगा और न ही निविदा पर विचार किया जायेगा। (6) नियम 7 में उपबन्धित समिति की संस्तुति के आधार पर जलराशियों के मात्स्यिकी प्रबंध व मत्स्य निकासी के ठेके की स्वीकृति संबंधी आदेश एवं लाइसेंस राज्य सरकार के (सम्बन्धित विभाग) अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत किये जायेंगे। (7) कार्यदायी संस्थाओं/व्यक्तियों को सम्बन्धित जलराशि में मात्स्यिकी प्रबंधन, मत्स्य आखेट एवं मत्स्य निकासी के ठेके हेतु लाईसेंस निर्धारित प्ररूप (**संलग्नक परिशिष्ट चार** के अनुसार) पर निर्गत किया जाएगा।
बीट आवंटन का अधिकार	9.	राज्य सरकार मैदानी भाग में विद्यमान नदियों में बीट आवंटन हेतु निदेशक मत्स्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर सकेगी, जिसमें निम्नलिखित होगें :– (1) निदेशक मत्स्य से निम्न स्तर के विभागीय अधिकारी यथा संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक मत्स्य– सदस्य सचिव। (2) सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/उनके प्रतिनिधि – सदस्य। (3) अन्य सम्बन्धित विभाग यथा सिंचाई, वन, राजस्व, पंचायत, नगर पालिका आदि स्वयतशासी संस्था के प्रतिनिधि – सदस्य
मैदानी क्षेत्र की नदियों में बीट आवंटन एवं बीट आवंटन की प्रकिया	10.	(1) मैदानी क्षेत्र की नदियों में बीट आवंटन निविदा पद्धति से किया जायेगा। (2) जिला स्तरीय मत्स्य अधिकारियों द्वारा जलराशियों से सम्बन्धित विभागों से विचार–विमर्श कर आवंटित किये जाने वाले बीटों का विवरण निदेशक मत्स्य के माध्यम से बीट आवंटन समिति को प्रस्तुत किया जायेगा, जो इस हेतु निविदाएं आमंत्रित करेगी। (3) निविदा सम्बन्धी दिशा–निर्देश राज्य सरकार के विभागीय सचिव द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। (4) निविदा की अन्य प्रकिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार की जाएगी।

		(5) बीटों के ठेके की अवधि 5(पांच) वर्ष होगी तथा अवधि की गणना आगामी 30 जून तक की अवधि को सम्मिलित कर की जायेगी। (6) निविदाओं में प्रतिभाग करने वाले निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों की सहमति हेतु सहमति पत्र धरोहर की धनराशि तथा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र (उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण को छोड़कर यदि वह निविदा में भाग लेता है) एवं हैसियत प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा, ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर सम्बन्धित निविदादाता की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। (7) नियम 7 में उपबन्धित समिति की संस्तुति के आधार पर जलराशियों के मात्स्यिकी प्रबंध व मत्स्य निकासी के ठेके की स्वीकृति संबंधी आदेश एवं लाइसेंस राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त निदेशक मत्स्य द्वारा निर्गत किये जायेंगे। (8) कार्यदायी संस्थाओं/व्यक्तियों को सम्बन्धित जलराशि में मात्स्यिकी प्रबंधन, मत्स्य आखेट एवं मत्स्य निकासी के ठेके हेतु लाईसेंस निर्धारित प्ररूप **(संलग्नक परिशिष्ट चार** के अनुसार) पर निर्गत किया जाएगा।
मैदानी क्षेत्र की नदियों में बीट आवंटन हेतु निविदा की न्यूनतम शर्तें	11.	(1) मैदानी क्षेत्र की नदियों के ठेके की अवधि पांच वर्ष होगी और इसकी गणना आगामी 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि को सम्मिलित कर की जायेगी। प्रथम वर्ष में यह अवधि स्वीकृति की तारीख से प्रारम्भ एवं 30 जून को समाप्त समझी जायेगी। स्वीकृत निविदा मूल्य में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि आगणित की जायेगी और तद्नुसार निविदादाता द्वारा संदेय होगी। (2) उच्चतम बोली/निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता/समिति को अधिकतम दो सप्ताह के भीतर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा। (3) निविदादाता समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1899 के उपबन्धो के अधीन देय स्टाम्प ड्यूटी संदत करेगा। अनुबन्ध पत्र निविदादाता और राज्यपाल की ओर से निदेशक, मत्स्य के मध्य निष्पादित किया जायेगा। निष्पादित अनुबन्ध राज्यपाल की ओर से निदेशक मत्स्य की अभिरक्षा में रखा जायेगा।

		(4) निविदादाता द्वारा निविदा के साथ निविदा के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत अग्रिम धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना आवश्यक होगा तथा सफल निविदादाता को कुल निविदा धनराशि का 25 प्रतिशत उसी दिन तत्काल जमा करना होगा। उक्त धनराशि जमा न कर पाने की दशा में अग्रिम की धनराशि जब्त समझी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त निविदादाता द्वारा पॉच वर्षों की कुल निविदा धनराशि की 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि निदेशक, मत्स्य के पक्ष में एन0एस0सी0 या एफ0डी0आर0 के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर निदेशक मत्स्य देहरादून के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा और अन्यथा की स्थिति में निविदा को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक मत्स्य में निहित होगा। (5) पूर्वोक्त नियम के अधीन निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के पश्चात् शेष 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान समान किस्तों में सम्बन्धित वर्ष के माह सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च के अन्त तक अनिवार्यतः करना होगा। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में निर्धारित समय सारणी के अनुसार निविदादाता को देय वार्षिक धनराशि की एक चौथाई (1/4) धनराशि 30 जून तक, एक चौथाई धनराशि 30 सितम्बर तक तथा एक चौथाई धनराशि 31 दिसम्बर तक जमा करते हुए शेष धनराशि 31 मार्च तक अनिवार्यतः जमा करनी होगी।
एंग्लिंग तथा 2 इंच या उससे बड़े आकार के जाल द्वारा मत्स्य कीड़ा/ आखेट के संबंध में दिशा–निर्देश	12.	(1) नियम 5 में नियत निकाय द्वारा परमिट निर्दिष्ट (**संलग्न परिशिष्ट** पॉच के अधीन) प्ररूप पर जारी किया जायेगा। (2) जारी किये जाने वाला परमिट अपरिवर्तनीय/अहस्तान्तरणीय होगा। (3) उक्तवत् जारी किये जाने वाले एंग्लिंग परमिट की वैधता एक दिन के लिए होगी। (4) उक्तवत् परमिट में एग्लिंग के द्वारा मत्स्य कीड़ा/आखेट की अनुमति सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही अनुमन्य होगी। (5) नियम 5 में नियत निकाय द्वारा एंग्लिंग/मत्स्य आखेट से पकड़ी गयी मछलियों की संख्या एवं जारी किये गये एंग्लिंग/मत्स्य आखेट परमिट से प्राप्त आय का विवरण प्रत्येक दिवस के लिए अलग–अलग अनुरक्षित करना होगा। (6) **(एक)** यदि एग्लिंग द्वारा अथवा 2 इंच या उससे बड़े फन्दे के आकार के जाल से मत्स्य कीड़ा/मत्स्य आखेट हेतु बीट आवंटन मत्स्य विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है तो ऐसी दशा में बीट शुल्क

		से अर्जित आय का 80 प्रतिशत भाग मत्स्य विभाग के राज्य सरकार की सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्षक में तथा 20 प्रतिशत भाग जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग के राज्य सरकार की सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्षक में जलराशि की रायल्टी के रूप में जमा करना होगा। (दो) यदि बीट सम्बन्धित जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा जारी किया जाता है, तो ऐसी दशा में बीट शुल्क से अर्जित आय का 80 प्रतिशत भाग जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग के राज्य सरकार की सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्षक में जमा होगा तथा 20 प्रतिशत भाग मत्स्य विभाग के राज्य सरकार की सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्षक में मत्स्य बीज मूल्य रूप में जमा करना होगा। (तीन) यदि पर्यटन विभाग द्वारा बीट आवंटित किया जाता है तो बीट शुल्क से अर्जित आय का 20 प्रतिशत भाग मत्स्य विभाग के राज्य सरकार की सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्षक मत्स्य बीज मूल्य के रूप में जमा होगा और शेष 80 प्रतिशत भाग का बटवारा पर्यटन विभाग एवं जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग में उस अनुपात में किया जाएगा जो पर्यटन विभाग एवं जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग में आपसी सहमति से निर्धारित किया गया हो। तद्नुसार उक्त धनराशि भी सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखा शीर्षक में जमा करना होगा। (7) प्रत्येक लाईसेन्स धारक/परमिट धारक अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में अधिकृत व्यक्ति की मांग पर लाईसेन्स/परमिट दिखाना आवश्यक होगा। आवंटित कार्यक्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी रीति से मत्स्य आखेट करने पर उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन उपबन्धित दण्ड के लिए दायी होगा। (8) अधिनियम और तद्धीन बनाये गये किन्ही उपबन्धों या उनके किसी भाग के उल्लंघन करने पर परमिट/लाइसेंस धारक का परमिट/लाइसेंस को बीट आवंटन करने वाले विभाग/अधिकारी अथवा मत्स्य विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी निरस्त करने की शक्ति होगी। (9) परमिट/लाइसेंस धारक द्वारा एक दिन में चार से अधिक ट्राउट/महाशीर मछली का आखेट करना/पकड़ना प्रतिबन्धित होगा।

		(10) एंग्लर्स एवं उनके सहयोगियों से पूर्ण शान्ति बनाये रखने, न्यूनतम गतिविधि तथा पर्यावरण में न्यूनतम हस्तक्षेप करने की अपेक्षा की जायेगी। (11) वन विभाग के नियंत्रणाधीन जलराशियों में एंग्लिंग के दौरान किसी एंग्लर/एंग्लर्स द्वारा राज्य में लागू विभिन्न अधिनियमों एवं तद्धीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन करने पर नियत निकाय ऐसी एंग्लिंग पर तत्काल रोक/निरस्त कर सकेगा किन्तु यदि एग्लिंग हेतु बीट आवंटन मत्स्य विभाग अथवा वन विभाग के इतर किसी अन्य विभाग द्वारा आवंटित किया गया है तो ऐसी दशा में ऐसे लाईसेंस के निरस्त करने की संस्तुति मत्स्य विभाग एवं सम्बन्धित विभाग जिसके द्वारा बीट आवंटन का लाईसेंस जारी किया गया है, को अग्रेषित करेगा। बीट आवंटन लाईसेन्स को तद्नुसार संस्तुति पर निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। (12) उपनियम 11 में उल्लिखित समस्त जलराशियों में इस नियमावली के परिशिष्ट –6(1) व परिशिष्ट–6(2) में अंकित अवधि में प्रजनन काल अवधि में मत्स्य आखेट पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा, परन्तु यह कि राज्य में मत्स्य आखेट/कीड़ा से सम्बन्धित स्थानीय मेलों जैसे–जिला टिहरी/देहरादून/उत्तरकाशी में आयोजित होने वाले मौण मेला आदि मेलों में स्थानीय लोगों के हकहकूकों के दृष्टिगत मेला अवधि में मेला क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाली जलराशि को प्रतिबन्धित क्षेत्र से मुक्त रखा जाएगा; परन्तु यह और कि जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबन्धों के अध्यधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनके परंपरागत तरीकों से अपने स्वयं के उपयोग के लिए मत्स्य आखेट की छूट अनुमन्य होगी।
जलराशियों में निविदाओं के माध्यम से संस्थाओं द्वारा मत्स्य आखेट के संबंध में दिशा निर्देश	13.	(1) किसी भी जलक्षेत्र में किसी भी विधि द्वारा किसी भी समय मत्स्य संसाधनों के शोध एवं अन्वेषण कार्य हेतु प्रायोगिक शिकारमाही का अधिकार निदेशक मत्स्य या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को होगा । (2) अधिनियम और तद्धीन बनाये गये किन्ही उपबन्धों या उनके किसी भाग के उल्लंघन करने पर संस्था या व्यक्ति को जारी लाईसेंस एवं ठेके को निरस्त करने का अधिकार निदेशक मत्स्य के पास निहित होगा।

		(3) प्रत्येक लाईसेन्स धारक/परमिट धारक अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में अधिकृत व्यक्ति की मांग पर लाईसेन्स/परमिट दिखाना आवश्यक होगा। (4) बीट वार आवंटित जलक्षेत्र को नीलामी व्यवस्था के आधार पर मत्स्य आखेट हेतु दिया जायेगा। (5) बीट वार कार्यक्षेत्र की नीलामी हेतु न्यूनतम धनराशि का निर्धारण निदेशक मत्स्य द्वारा राज्य सरकार की सहमति से किया जायेगा। (6) मत्स्य आखेट अन्तर्गत 400 ग्रा0 महाशीर एवं 250 ग्रा0 अन्य प्रजाति की मछली से कम वजन की मछली पकडना पूर्ण रुप से प्रतिबन्धित होगा। (7) महाशीर जलक्षेत्र के संगम से सामान्य जलक्षेत्र के एक किलो मीटर बहाव की ओर एवं एक किलो मीटर बहाव के विपरीत दिशा में जाल आदि से मत्स्य आखेट का कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा। (8) संस्था को मत्स्य आखेट हेतु न्यूनतम 2.0 इन्च फन्दे का जाल प्रयोग लाने की अनुमति होगी। (9) यदि संस्था द्वारा निर्धारित न्यूनतम माप से छोटे फन्दे वाले जाल का प्रयोग किया जाता है तो उस संस्था का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उनके विरूद्व विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी । (10) आवंटित कार्यक्षेत्र में मत्स्य आखेट हेतु निर्धारित शर्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मत्स्य आखेट की अनुमति नही होगी। (11) वन विभाग के नियंत्रणाधीन जलराशियों में मत्स्य आखेट के दौरान राज्य में लागू विभिन्न अधिनियमों एवं तद्धीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी मत्स्य आखेट पर तत्काल रोक लगा सकेगा तथा संस्था/व्यक्ति को जारी ठेके के लाईसेन्स को निरस्त करने की संस्तुति सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निदेशक, मत्स्य को अग्रेषित की जा सकेगी।
मत्स्य संवर्द्धन	14.	(1) नियम 5 के अधीन नियत निकाय मत्स्य विभाग के सहयोग से मत्स्य संवर्द्धन हेतु निम्नलिखित कदम उठायेगा– (क) नदी एवं जलधाराओं/ झील/ तालाब/जलाशयों में उनकी आवश्यकता के अनुसार मत्स्य बीज का संचय, (ख) विभागीय स्वामित्व की हैचरियों में प्रचुर मात्रा में मत्स्य बीज का उत्पादन कर, उनके अनुकूलित जलराशि में मत्स्य बीज को संचित करना,

		(ग) वर्षा ऋतु के उपरान्त नदी के जल स्तर घटने पर उनके छुड़ानों में फँसी हुई छोटी मछलियों को पकड़ कर मुख्य जलधाराओं में संचित करना, (घ) अविरल प्रवाहित नदियों पर बाँधों के निर्माण के उपरान्त प्रभावित जलक्षेत्र का जल जैविक सन्तुलन के पुर्नस्थापना हेतु उनमें आवश्यकतानुसार मत्स्य बीज का संचय। (2) आवंटित बीट वार कार्यक्षेत्र में मत्स्य सम्पदा के संवर्धन एवं संरक्षण का दायित्व ऐसी संस्था का होगा जिसे उक्त बीट आवंटित होगा तथा ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र की नदियों एवं झीलों/तालों, सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग) की नदियों एवं झीलों/तालों में मत्स्य सम्पदा के संवर्द्धन एवं संरक्षण का दायित्व मत्स्य विभाग के सहयोग से जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग एवं उक्त क्षेत्र में एंग्लिंग/मत्स्य आखेट का परमिट जारी करने वाले विभाग का होगा। (3) व्यक्तियों/संस्थाओं को आवंटित बीट वार कार्यक्षेत्र में मत्स्य बीज संचय हेतु मत्स्य अंगुलिकाओं को विभागीय स्वामित्व वाली हैचरियों से निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। (4) बीट वार कार्यक्षेत्र में मत्स्य बीज की प्रजाति तथा मात्रा के निर्धारण का अधिकार निदेशक, मत्स्य का होगा।
मत्स्य संरक्षण एवं मत्स्य आखेट संबंधी प्रतिबन्धों सम्बन्धी–दिशा–निर्देश	15.	**अधिनियम** के प्राविधानों के अध्यधीन मत्स्य संरक्षण हेतु निम्नवत् प्रतिबन्धों का नियत निकाय द्वारा अनुपालन किया जायेगा– (1) मत्स्य सम्पदा वाली जल राशियों में डाइनामाइटिंग, विषैले रसायन एवं पादप, विद्युत प्रवाह, आदि विनाशकारी प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा किन्तु जैव विविधता एवं पर्यावरण के दृष्टिगत जल धाराओं के प्रवाह में उसी सीमा तक परिवर्तन की अनुमति दी जा सकेगी, जिससे प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। (2) बडी मछलियों के साथ–साथ उनके असंख्य अण्डे एवं छोटे बच्चों को नष्ट होने से बचाने के लिए मत्स्य आखेट की अवैधानिक विधियां पूर्ण रूप से निषिद्ध होगीं। (3) राज्य सरकार समय–समय पर नदी एवं जल धाराओं के जल जैविक संतुलन पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने हेतु अवैधानिक मत्स्य आखेट की अमान्य विधियों को निषिद्ध करने हेतु विस्तृत निर्देश जारी कर सकेगीं।

(4) मत्स्य विभाग जलराशि के स्वामित्व वाले विभागों, संस्थाओं एवं स्थानीय लोगो की सहभागिता सुनिश्चित कर प्रचार–प्रसार के माध्यम से नदियों एवं जलधाराओं में ट्राउट एवं महाशीर जैसी महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण के महत्व को जनमानस तक पहुचाना सुनिश्चित करेगा।

(5) एंग्लिंग एवं अन्य निर्धारित विधियों से मत्स्य आखेट के अन्तर्गत निम्नांकित वजन से कम वजन की कोई भी मछली पकडना निषिद्ध होगा :–

(1) रैनवो ट्राउट	300 ग्राम से कम वजन की
(2) ब्राउन ट्राउट	300 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(3) स्नो ट्राउट	250 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(4) कामन कार्प	300 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(5) महाशीर	400 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(6) कतला	500 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(7) रोहू	500 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(8) नैन	400 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(9) सिल्वर कार्प	500 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(10) ग्रास कार्प	500 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(11) कनिया	300 ग्राम ,, ,, ,, ,,

टिप्पणी– उपरोक्त उल्लिखित मत्स्य प्रजातियों के अतिरिक्त अन्य मत्स्य प्रजातियों की मैदानी क्षेत्रों में 500 ग्राम से कम वजन की मछली तथा पर्वतीय भाग में 250 ग्राम से कम वजन की मछली को पकड़ना, मारना अथवा बेचना प्रतिबंधित होगा।

(6) एंग्लिंग एवं अन्य निर्धारित विधियों से मत्स्य आखेट अन्तर्गत निर्दिष्ट वजन से कम वजन की पकड़ी गयी मछली को सम्बन्धित द्वारा वापस उसी जलराशि में छोड़ना होगा।

(7) राज्य में विद्यमान ताल, नदियों और जलधाराओं में मछली के मुख्य प्रजनन स्थलों से रेत, बजरी, पत्थर या अन्य तलछट सामग्री निकालने की अनुमति देते समय सम्बन्धित विभाग इस बात का ध्यान रखेंगे कि उक्त स्थलों पर मत्स्य प्रजनन में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(8) मछलियों के प्रजनन काल अन्तर्गत आवंटित कार्य क्षेत्र में एग्लिंग द्वारा एवं अन्य विधियों द्वारा मत्स्य क्रीडा/मत्स्य आखेट का कार्य

		नियम 12 के उपनियम (12) के परन्तुक को छोड़कर पूर्ण रूप से बन्द रहेगा। **(9)** किसी नियम के उल्लघंन की जानकारी कार्यदायी संस्था को होने पर उसकी बाध्यता होगी कि वह इसकी सूचना निदेशक मत्स्य या कोई मत्स्य पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी को दें। **(10)** मत्स्य सम्पदा के संरक्षण हेतु आवंटित कार्यक्षेत्र में वर्षा ऋतु के उपरान्त नदी का जल स्तर घटने पर उसके छुडानों में फसी हुई छोटी मछलियों को कार्यदायी संस्था द्वारा पकड़ कर मुख्य जलधारा में संचित करना होगा। **(11)** वर्षा ऋतु के दौरान जब मुख्य नदी का जल स्तर बढ कर उसका पानी गन्दा हो जाता है तो ऐसे समय में मछलियां मुख्य जलधारा को छोड़ कर साफ पानी वाली छोटी जलधाराओं में चली जाती है, इस अवधि में इस प्रकार की जलधाराओं के आस पास किसी भी प्रकार का मत्स्य आखेट नियम 12 के उपनियम (12) के परन्तुक को छोड़कर प्रतिबन्धित होगा। **(12)** ट्राउट जलक्षेत्र में 01 नबम्बर से 28 फरवरी तक तथा महाशीर जलक्षेत्र में 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक प्रजनन काल अवधि में मत्स्य क्रीडा/मत्स्य आखेट पूर्ण रूप से नियम 12 के उपनियम (12) के परन्तुक को छोड़कर प्रतिबन्धित रहेगा। **टिप्पणी**– मत्स्य शिकारमाही के जलक्षेत्र, शिकारमाही की विधि, परिमिट/लाईसेंस परमिट/लाईसेंस शुल्क, निषेध अवधि निषिद्ध क्षेत्र का विवरण **संलग्न परिशिष्ट–06** पर उल्लिखित है।
अमान्य विधियों द्वारा मत्स्य आखेट निषिद्ध	**16.**	परिशिष्ट में अनुज्ञापित विधियों के अतिरिक्त डाइनामाइटिंग, विषैले रसायनों एवं पादपों, विद्युत प्रवाह, बन्दूक,भाला,तीर कमान या तत्समान यन्त्रों या कारखानों आदि के दूषित/गन्दे पानी से मत्स्य विनाश या मछली नष्ट करने के प्रयास तथा कारखानों इत्यादि के गंदे पानी से जलराशि को गंदा करना, निषिद्ध होगा।
निषिद्ध विधियों द्वारा आखेट हेतु दण्ड का प्राविधान	**17.**	**अधिनियम** तथा इस नियमावली के प्राविधानों में उल्लिखित निषिद्ध विधियों द्वारा मत्स्य आखेट पर उक्त अधिनियम की धारा 5 से धारा 10 तक के उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त अधिनियम की धारा 8 एवं धारा 9 में निहित शक्ति के कियान्वयन हेतु अधिकृत पद धारकों का विवरण **संलग्न परिशिष्ट–07** पर उल्लिखित है।

मछली का व्यापार, इसका यातायात या किसी क्षेत्र से निर्यात	18.	(1) समय–समय पर निदेशक मत्स्य इस भाग से सम्बन्धित सम्यक रीति निर्धारित कर सकेगा। (2) मछली के व्यापार/विक्रय केन्द्र के निर्धारित स्थल एवं इनके यातायात से सम्बन्धित सुविधायें प्राप्त करने हेतु मछली विक्रेता/व्यापारियों के द्वारा ऐसे स्थानीय निकायों से भी सहमति/अनापत्ति यथा रीति प्राप्त करनी होगी।
मछली पकड़ने के उपकरण, मछली एवं मछलियों की पेटी/थैला को जब्त करना/ हटाना	19.	(1) परिशिष्ट–सात में उल्लिखित पदधारक नियमों के विरूद्व मछली पकड़ने के लिए स्थापित या उपयोग में लाये गये उपकरण को छीन अथवा हटा अथवा जब्त करने की शक्ति होगी। (2) परिशिष्ट–सात में उल्लिखित पदधारक किसी उपकरण द्वारा पकड़ी हुई सभी मछली तथा पेटी/थैली को जब्त करने की भी शक्ति होगी। (3) परिशिष्ट–सात में उल्लिखित पदधारक पूर्वोक्त उपनियमों के उल्लघंन में ऐसे अपराध के लिए सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्व **अधिनियम** के उपबन्धों के अध्यधीन अपेक्षित कार्यवाही कर सकेगा। (4) उपनियम (2) में जब्त की गई मछली यदि जीवित है तो उसे तत्समय ही उसी स्थान पर जलराशि में परिशिष्ट–सात में उल्लिखित पदधारक द्वारा डाल दिया जायेगा और यदि मछली मृत है तो सन्नीकट के तोल केन्द्र में तुलवाकर उसे प्रचलित दरों पर बेचकर प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।
तिलोपिया, बिगहैड, थाई मॉगुर आदि प्रतिबंधित मत्स्य प्रजातियों के मत्स्य बीज का जलराशि में संचय पर रोक	20..	किसी व्यक्ति को तालाब, पोखर, झील, जलाशय, नदी एवं जलधाराओं में टिलेपिया प्रजाति, बिग हैड और विदेशी थाई मॉगुर का मत्स्य बीज संचय करने की अनुमति नही होगी। इस नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 5 के अधीन उपबन्धित दण्ड के लिए दायी होगा।
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–2 भाग–2 (क) में विनिर्दिष्ट मछलियों का आखेट निषिद्ध होगा	21.	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 की अनुसूची–2 भाग–2 (क) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित मछलियों का आखेट निषिद्ध होगाः– (1) तिमि ग्राह (राइनोकोडोन टायपस) (2) ग्राह व पृथिका (एक) एनोक्सीप्रिस्टिस कुस्पिडेटा (दो) कावीरहाइनस हेमियोडोन (तीन) ग्लीफियस गैंजेटिकस

		(चार) ग्लीफिसय ग्लीफियस **(पॉच)** हिमानटूरा फ्लुसिए–टार्यालस **(छः)** प्रिस्टिस माइक्रोडोन **(सात)** प्रिस्टिस जिनस्ट्रोन **(आठ)** रि्हनकोबेटस दियेद्देन्सिटा **(नौ)** युरोजिम्नस एस्पर्राइगस **(3)** ग्राह व पृथिका (सभी इलैस्मोब्रांची आई) अश्वमीन (सभी सिग्नैथीडियन) **(4)** भीम ग्रुपरमीन (एपिनसेफेलस लैसियोलेटस)
निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमा में मछली पकड़ने के उपकरणों और यन्त्रों को अधिकार में रखना	**22.**	कोई भी व्यक्ति बिना वैध परमिट/लाईसेन्स के निर्दिष्ट जल क्षेत्र जो निजी नही है, की 3 कि.मी. परिधि के अन्तर्गत मछली पकड़ने के उपकरणों और यन्त्रों को अपने अधिकार में नही रखेगा। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधारको को ऐसे उपकरण और यन्त्रों को जब्त करने तथा ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने की शक्ति होगी।
अपील का अधिकार	**23.**	यदि व्यथित पक्ष (एंग्लिंग/मत्स्य आखेट परमिट धारक अथवा संस्था/व्यक्ति जिसे मत्स्य आखेट का लाईसेंस/ठेका दिया गया है) को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मामले में उचित कार्यवाही नहीं की गयी हो तो ऐसी स्थिति में उसे राज्य सरकार के समक्ष निम्नतर अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध उसके जारी किये जाने के दिनांक से अधिकतम एक माह के भीतर अपील करने का अधिकार होगा। प्रश्नगत विषय में राज्य सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
कठिनाई निवारण की शक्ति	**24.**	यदि इस नियमावली के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा जो अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों के असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगीं।

परिशिष्ट–एक

उत्तराखण्ड की मुख्य नदियां एवं सहायक नदियां,

क0	जनपद का नाम	उत्तराखण्ड में नदी /सहायक नदी का नाम	उत्तराखण्ड में नदी की लम्बाई (कि0मी0)
1	2	3	4
1.	देहरादून	यमुना	50
		टौंस	45
		सौंग	25
2.	उत्तरकाशी	अस्सीगंगा	34
		यमुना	50
		भागीरथी	140
		टौंस	20
3.	चमोली	रामगंगा(प0)	20
		पिण्डर	93
		अलकनन्दा	150
		विष्णु गंगा	150
		विरही गंगा	50
		गरूड़ गंगा	15
		बालखिला	15
		अमृत गंगा	05
		नन्दाकिनी	40
		निगोल	15
		उपला	15
		अनन्तगाड़	20
4.	रूद्रप्रयाग	मन्दाकिनी	100
		काली नदी	10
		मदमहेश्वर	25
		कल्पगंगा	15
		काकड़ा	15
5.	टिहरी	भागीरथी	80
		भिलगंना	50
6.	पौडी गढ़वाल	रामगंगा (पं)	37
		अलकनन्दा	50
		नयार पूर्वी	60
		नयार (पं)	50
		गंगा नदी	48
		नयार नदी	18
		कोठारी नदी	21
		पलान नदी	21
		खोह नदी	12
		मालिन नदी	12
		रेवासन नदी	15
		मिनायता नदी	12
		नल नदी	18
		हियाल नदी	27
		सोन नदी	12
7.	हरिद्वार	गंगा नदी	20
		सौग	05
		सुवा	12

8.	कुमायूँ नैनीताल	कोसी	60
		गौला	50
		नंधौर	30
		भवाली नाला	20
9.	अल्मोड़ा	कोसी	58
		रामगंगा (पं0)	77
		सुयाल	41
		गगास	38
		विनोद	20
		पनार	26
10.	बागेश्वर	सरयू	57
		लाहुर	10
		गोमती	40
		फनगाड़	20
		गरूड़ गंगा	10
11.	पिथौरागढ़	रामगंगा (पूर्वी)	92
		सरयू	60
		काली	190
		गौरी	90
		धॉली	80
		चरमागाड़	14
		ढुली गाड़	18
12.	चम्पावत	काली	20
		लोहावाली	40
		लधिया	50
13.	ऊधमसिंह नगर	शारदा	10
		कैलाश	10

परिशिष्ट–दो

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मुख्य प्राकृतिक झील/ताल

क0सं	जनपद	झील का नाम	क्षेत्रफल है0 में	समुद्र स्थल से ऊचॉई	स्वामित्व	अन्य विवरण
1.	उत्तरकाशी	ड्योडी ताल	3.5	3352	वन विभाग	
		नचिकेताताल	2.00	2330	वन विभाग	
		वारसूताल	1.00	1800	ग्राम पंचायत	
		स्याबाताल	0.5	1800	ग्राम पंचायत	
		जखोलताल	1.00	1800	ग्राम पंचायत	
2.	चमोली गढ़वाल	ब्रहमताल	0.8	2230	वन विभाग	
		झलताल	2.00	3000	वन विभाग	
		भीकलताल	1.00	2780	वन विभाग	
		सूखाताल	1.00	3000	वन विभाग	
		देवताल	2.00	2780	वन विभाग	
		लोकताल	2.00	2780	वन विभाग	
3.	रूद्रप्रयाग	वासूकी ताल	4.60	4480	वन विभाग	
		त्रिजुगीनारायण	0.40	2230	वन विभाग	
		धिगारीताल	0.40	3900	वन विभाग	
		देवरिया ताल	2.00	2230	वन विभाग	
4.	टिहरी गढवाल	मासरताल	0.85	3000	वन विभाग	
		मारीनताल	1.25	3000	वन विभाग	
		जरालताल	0.40	2000	वन विभाग	
		चण्डयार ताल	0.75	2800	वन विभाग	
		बधानीताल	0.40	2000	वन विभाग	
		नेखरी ताल	0.30	1700	वन विभाग	
5.	चम्पावत	श्यामलाताल	3.8	1260	ग्राम पंचायत	
6.	नैनीताल	भीमताल	84.24	1350	सिचॉई विभाग	
		नौकुचियाताल	24.5	1348	सिचॉई विभाग	
		सातताल	24.5	1220	सिचॉई विभाग	
		नैनीताल	73.6	1600	नगर पालिका	
		खुर्पाताल	8.00	1520	वन विभाग	
		गरूड़ताल	4.5	1230	सात ताल स्टेट	
		लोहाखामताल	3.00	1061	राजस्व विभाग	
		हरीशताल	4.00	1061	राजस्व विभाग	
		नलदमयन्तीताल	0.20	1365	राजस्व विभाग	

परिशिष्ट– तीन

उत्तराखण्ड के प्रमुख जलाशय/डैम

क0सं0	जनपद का नाम	जलाशय का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	स्वामित्व
1-	ऊधम सिंह नगर	नानक सागर	4089.00	सिंचाई विभाग
2-	ऊधम सिंह नगर	बैगुल	2995.00	सिंचाई विभाग
3-	ऊधम सिंह नगर	तुमरिया	2377.00	सिंचाई विभाग
4-	ऊधम सिंह नगर	धौरा	1295.00	सिंचाई विभाग
5-	ऊधम सिंह नगर	बौर	1295.00	सिंचाई विभाग
6-	ऊधम सिंह नगर	हरिपुरा	1144.00	सिंचाई विभाग
7-	ऊधम सिंह नगर	शारदा सागर (आंशिक)	6880.00	सिंचाई विभाग
8-	देहरादून	आसन वैराज	444.44	जल विद्युत निगम (UJVNL)/वन विभाग
9-	टिहरी	टिहरी डैम	4200.00	टी0एच0डी0सी0
10-	उत्तरकाशी	मनेरी डैम	2.00	जल विद्युत निगम (UJVNL)
11-	हरिद्वार	पुरानी गंग नहर	32.00	सिंचाई विभाग

परिशिष्ट–चार

संस्थाओं/व्यक्तियों को मत्स्य आखेट के ठेके हेतु लाईसेंस का प्रारूप
(नियम 7 (7) व नियम 9(8) के अनुसार)

बुक संख्या .....फार्म न0.....

लाईसेन्स न0.....

उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम 2003 में निहित प्राविधानानुसार लाइसेन्स धारक को ....जलक्षेत्र के भाग में (बीट का नाम/संख्या).....में दिनांक.....से ....तक के लिये मत्स्य आखेट का अधिकार प्रदान किया जाता है ।

व्यक्ति/संस्था का नाम एवं पता.....
.....
.....

जमा शुल्क या बिल के द्वारा शुल्क समायोजन रू0.....

प्राप्ति की तिथि .....

लाईसेंस निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–पॉच (1)

एग्लिंग/02 इंच या उससे बड़े आकार के जाल द्वारा मत्स्य आखेट हेतु परमिट का प्रारूप
(नियम 11 (1) के अनुसार)

बुक संख्या ..... फार्म न0.....

परमिट न0.....

उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम 2003 में निहित प्राविधानानुसार परमिट धारक को .....
.....जलक्षेत्र के भाग (बीट का नाम/संख्या) .....में दिनांक.....के लिये एंग्लिंग/2 इंच या उससे बड़े आकार के फन्दे वाले जाल द्वारा मत्स्य आखेट की अनुमति प्रदान की जाती है ।

व्यक्ति का नाम एवं पता.....
.....
.....

जमा शुल्क या बिल के द्वारा शुल्क समायोजन रू0.....

प्राप्ति की तिथि .....

परमिट निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–पॉच (2)

एंग्लिग एवं दो इंच या इससे बड़े फन्दे वाले जाल से मत्स्य आखेट की अनुमति सम्बन्धी परमिट धारक हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश एवं शर्ते परमिट के पृष्ट भाग पर छपा हो–

1. परमिट उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2003 के प्राविधानों की शक्तियों के अन्तर्गत अनुमन्य होगा।
2. परमिट अहस्तान्तरणीय/अपरिवर्तनीय होगा।
3. परमिट धारक एग्लिंग एवं दो इंच या इससे बड़े फन्दे वाले जाल से मत्स्य आखेट की अनुमति सम्बन्धी परमिट जारी करने वाली संस्था/विभाग के अधिकारी द्वारा जिस स्थान के लिए जारी किया गया है उसे परमिट धारक परिवर्तित नहीं करेगा जब तक कि परमिट जारी करने वाली संस्था द्वारा अनुमति न दी जाय।
4. परमिट जारी करने वाली संस्था/विभाग के अधिकारी ऐसा परमिट जारी करने/उक्त परमिट का पुनर्नवीनीकरण करने को अस्वीकार कर सकती है। यदि उसका यह समाधान हो जाय कि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसा परमिट निर्गत करना/नवीनीकरण करना जनहित में उचित नहीं है।
5. परमिट धारक की बाध्यता होगी कि उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनिमय, 2003 की धारा 8(1) द्वारा अधिकृत व्यक्ति को उसके द्वारा परमिट दिखाया जाय।
6. सामान्य जल क्षेत्र पर्वतीय भाग एवं सामान्य झीलें पर्वतीय भाग जहां एग्लिंग के साथ दो इंच या इससे बड़े फन्दे के जाल द्वारा भी मत्स्य आखेट की अनुमति होगी को छोड़कर पर्वतीय भाग की अन्य जलराशियों में (मानव निर्मित जलराशियों को छोड़कर) आवंटित कार्यक्षेत्र में एंग्लिंग के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मत्स्य आखेट की अनुमति नहीं होगी।

7. सूर्योदय से सूर्यास्त तक एंग्लिंग के द्वारा मत्स्य आखेट की अनुमति होगी।

8. परमिट धारक निम्नलिखित सारणी में प्रजातिवार उल्लिखित मछलियों के सम्मुख अंकित वजन से कम वजन की कोई मछली नही पकडेगा या मारेगा या बेचेगा :–

1-	रैनवो ट्राउट	:	300 ग्राम से कम वजन की
2-	ब्राउन ट्राउट	:	300 ,, ,, ,, ,,
3-	स्नो ट्राउट	:	250 ,, ,, ,, ,,
4-	कामन कार्प	:	300 ,, ,, ,, ,,
5-	महाशीर	:	400 ,, ,, ,, ,,
6-	कतला	:	500 ,, ,, ,, ,,
7-	रोहू	:	500 ,, ,, ,, ,,
8-	नैन	:	400 ,, ,, ,, ,,
9-	सिल्वर कार्प	:	500 ,, ,, ,, ,,
10-	ग्रास कार्प	:	500 ,, ,, ,, ,,
11-	कनिया	:	300 ,, ,, ,, ,,
टिप्पणी– उपरोक्त उल्लिखित मत्स्य प्रजातियों के अतिरिक्त अन्य मत्स्य प्रजातियों की मैदानी क्षेत्रों में 500 ग्राम से कम वजन की मछली तथा पर्वतीय भाग में 250 ग्राम से कम वजन की मछली को पकड़ना, मारना अथवा बेचना प्रतिबंधित है।			

9. परमिट धारक द्वारा उपरोक्त अंकित वजन से कम वजन की मछली पकड़ने पर उसे वापस जलराशि में छोड़ना होगा।

10. परमिट धारक को परमिट की समय अवधि पूर्ण होने अथवा एग्लिंग/दो इंच या इससे बड़े फन्दे वाले जाल से मत्स्य आखेट कार्य समाप्त करने के उपरान्त निम्नांकित प्रारूप पर परमिट निर्गतकर्ता को सूचना उपलब्ध करनी होगी:–

परिशिष्ट–पॉच (3)

परिशिष्ट 05 का भाग

क0सं0	एंग्लिंग/02 इंच या इससे बड़े फन्दे वाले जाल द्वारा मत्स्य आखेट का स्थान (नदी आदि का नाम)	पकड़ी गयी मछली की प्रजाति	पकड़ी गयी मछली का वजन	पकड़ी गयी मछली की संख्या	अभियुक्ति
	कुल योग–				

परमिट धारक का नाम एवं हस्ताक्षर

परमिट निर्गत कर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पणी– उपरोक्त प्रारूप परमिट निर्गतकर्ता विभाग द्वारा परमिट धारक को परमिट निर्गत करते समय उपलब्ध कराया जायेगा।

परिशिष्ट--छः (1)
शिकारमाही सारणी

क0	जलक्षेत्र का नाम	अनुज्ञापित शिकारमाही विधि	परमिट/लाईसें स वैधता अवधि	बीट आवंटन की विधि निविदा के माध्यम से	निषेध अवधि	शिकारमाही के निषिद्ध क्षेत्र का स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1.	नदियों एवं जलधाराओं के ट्राउट क्षेत्र	एंग्लिंग रॉड़	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन का परमिट तथा कार्यदायी संस्था को तीन वर्ष हेतु बीट लाईसेंस	नियम 5 (1) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 नवम्बर से 28 फरवरी तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। नियम–11(12) के परन्तुक को छोड़कर	1. अन्य धार्मिक स्थलों के आस–पास। 2. चिन्हित प्रजनन क्षेत्र।
2.	नदियों एवं जलधाराओं के महाशीर क्षेत्र	एंग्लिंग रॉड़	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन का परमिट तथा कार्यदायी संस्था को तीन वर्ष हेतु बीट लाईसेंस।	नियम 5 (1) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। नियम–11(12) के परन्तुक को छोड़कर	1. अन्य धार्मिक स्थलों के आस–पास। 2. चिन्हित प्रजनन क्षेत्र।
3.	सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग)	एग्लिंग रॉड तथा 2.00 इंच या उससे बड़े फन्दे वाले जाल से	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन का परमिट तथा कार्यदायी संस्था को तीन वर्ष हेतु बीट लाईसेंस।	नियम 5 (2) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा, किन्तु राज्य में मत्स्य आखेट/क्रीड़ा से सम्बन्धित स्थानीय मेलों जैसे–जिला टिहरी/देहरादून/उत्त रकाशी में आयोजित होने वाले मौण मेला आदि मेलों में स्थानीय लोगों के हकहकूकों के दृष्टिगत मेला अंवधि में मेला क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाली जलराशि को प्रतिबन्धित क्षेत्र से मुक्त रखा जाएगा।	1. अन्य धार्मिक स्थलों के आस–पास। 2. चिन्हित प्रजनन क्षेत्र।
4.	ट्राउट जलक्षेत्र की झीलें।	एग्लिंग रॉड	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन का परमिट तथा कार्यदायी संस्था।	नियम 5 (1) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 नवम्बर से 28 फरवरी तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा । नियम–11(12) के परन्तुक को छोड़कर	1. धार्मिक स्थलों के आस–पास। 2. चिन्हित प्रजनन क्षेत्र।
5.	महाशीर जलक्षेत्र कीं झीलें	एग्लिंग रॉड	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन परमिट तथा कार्यदायी संस्था को तीन	नियम 5 (1) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा नियम–11(12) के	1. धार्मिक स्थलों के आस–पास। 2. चिन्हित

			वर्ष हेतु बीट लाईसेंस।		परन्तुक को छोड़कर	प्रजनन क्षेत्र।
6.	सामान्य जलक्षेत्र की झीलें (पर्वतीय भाग)	एंग्लिंग रॉड तथा 2.00 इंच या उससे बड़े फन्दे वाले जाल से	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन का परमिट तथा कार्यदायी संस्था को तीन वर्ष हेतु लाईसेंस।	नियम 5 (2) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा नियम–11(12) के परन्तुक को छोड़कर	1. धार्मिक स्थलों के आस–पास। 2. चिन्हित प्रजनन क्षेत्र।
7.	मैदानी भाग में विद्यमान ग्राम समाज एवं स्थानीय निकाय के जोहड़, पोखर एवं तालाब	समस्त मान्य शिकारमाही विधियॉ	ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के प्रचलित नियमों/अधिनियमों की व्यवस्थानुसार	ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के प्रचलित नियमों/अधि नियमों की व्यवस्थानुसार	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।	कुम्भ मेला क्षेत्र एवं अन्य धार्मिक स्थलों के आस–पास।
8.	जलाशय	समस्त मान्य शिकारमाही विधियॉ	पॉच वर्ष	खुली नीलामी के आधार पर	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा	—
9.	मैदानी क्षेत्र की नदियां	समस्त मान्य शिकारमाही विधियॉ	पॉच वर्ष	खुली नीलामी के आधार पर	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।	1. कुम्भ मेला क्षेत्र एवं अन्य धार्मिक स्थलों के आस–पास। 2. चन्हित प्रजनन क्षेत्र।

नोट– चिन्हित प्रजनन क्षेत्र आदि के संबंध में निदेशक, मत्स्य द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे।

परिशिष्ट–सात

उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2003 की धारा 8 एवं धारा 9 में निहित प्राविधानों के कियान्वयन हेतु अधिकृत पद धारकों का विवरण–

क0सं0	विभाग का नाम	पदधारक
1.	मत्स्य विभाग	मत्स्य निरीक्षक/मत्स्य विकास अधिकारी से अनिम्न
2.	पुलिस विभाग	सबइन्सपेक्टर से अनिम्न
3.	वन विभाग	वन दरोगा से अनिम्न
4.	राजस्व विभाग	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) से अनिम्न
5.	सिंचाई विभाग	कनिश्ठ अभियन्ता से अनिम्न

आज्ञा से,

सी0 एम0एस0 बिष्ट,
सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

पदोन्नति/तैनाती

22 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 979/XXVIII-2/01(159)2009–एतद्द्वारा पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के वरिष्ठ श्रेणी चिकित्साधिकारी (सामान्य उप–संवर्ग) वेतनमान वेतन बैण्ड–3, ₹ 15600–39100, ग्रेड वेतन ₹ 7600 के पद पर कार्यरत डा0 विराज शाह की संयुक्त निदेशक (सामान्य उप–संवर्ग) वेतन बैण्ड–4, वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 8700 के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हुए, अधीक्षक, सामु0स्वा0के0, जोशीमठ, चमोली में तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त चिकित्साधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी नवीन तैनाती स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3. उपरोक्त प्रोन्नत संयुक्त निदेशक को 01 वर्ष विहित परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

अधिसूचना

तैनाती

22 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 981/XXVIII-2/01(159)2009–एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या–271/XXVIII-2/01(159)2009, दिनांक 02–04–2013 द्वारा पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के संयुक्त निदेशक (सामान्य उप–संवर्ग) डा0 वेद प्रकाश मौर्य की तैनाती अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल से संशोधित करते हुए, प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जन), जिला चिकित्सालय, हरिद्वार के पद पर करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त वर्णित अधिसूचना दिनांक 02–04–2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,

पीयूष सिंह,
अपर सचिव।

अधिसूचना

14 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 910/XXVIII-2/01(21)2012—अधिसूचना संख्या—1046/XXVIII-2/01(21)2012, दिनांक 28—09—2012 एवं महानिदेशक के पत्र संख्या—2प/रा0पु0/34/2012/25528, दिनांक 18—09—2013 के क्रम में लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड के माध्यम से वर्ष 2011—2012 में चयनित पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ उप—संवर्ग) डॉ0 प्रकाश चन्द्र सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करते हुए, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

तैनाती

17 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 907/XXVIII-2/01(37)2007—एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या—890/XXVIII-2/01(151)2011, दिनांक 18—09—2013 द्वारा डा0 राम चन्द्र सिंह रावत, मुख्य विशेषज्ञ—सर्जरी, जिला चिकित्सालय, पौड़ी की तैनाती को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, उन्हें मुख्य विशेषज्ञ—सर्जरी, दून चिकित्सालय, देहरादून के पद पर तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त वर्णित अधिसूचना दिनांक 18—09—2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

अधिसूचना

तैनाती

17 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 972/XXVIII-2/01(37)2007—एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या—550/XXVIII-2/01(150)2011, दिनांक 04—07—2013 द्वारा डा0 बिमलेश जोशी, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी की सामु0स्वा0 केन्द्र, पोखरी, चमोली में की गई तैनाती को आगामी 06 माह हेतु दिनांक 30—04—2013 तक स्थगित करते हुए, उन्हें पूर्व तैनाती स्थल जिला—कारागार, देहरादून में ही तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. डा0 बिमलेश जोशी दिनांक 30—04—2013 के अपरान्ह में सामु0स्वा0 केन्द्र, पोखरी, चमोली हेतु स्वतः कार्यमुक्त समझे जायेंगे।

आज्ञा से,

अतर सिंह,
उप सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति

10 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 1639/XXX-1-13-15(6)/2009–श्री शिव कुमार बरनवाल, पी0सी0एस0 के दिनांक रहित पत्र में किये गये अनुरोध तथा उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर श्री शिव कुमार बरनवाल, पी0सी0एस0 के नाम के पूर्व 'डॉ0' शब्द जोड़ कर अभिलेखों में 'डॉ0 शिव कुमार बरनवाल' करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अतर सिंह,
उप सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 48 हिन्दी गजट/616–भाग 1–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2013 ई0 (अग्रहायण 09, 1935 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

04 जुलाई, 2013 ई0

पत्रांक 1624/आयु0करउत्तरा0/वाणि0क0/पत्रा0–01/विधि–अनुभाग/13–14/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–**783/2013/181(120)/XXVII(8)/08** दिनांक 03–07–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम 2005 में अग्रेतर संशोधन करते हुये अवगत कराया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रतियां आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि शासन के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

03 जुलाई, 2013 ई0

सं0 783 / 2013/181(120)/XXVII(8)/2008–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2013

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

नियम 11 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005, जिसे यहाँ आगे "मूल नियम" कहा गया है, के नियम 11 में :–

(क) उपनियम (1) में दी गयी सारणी के क्रम संख्या 3 पर चौथे स्तम्भ में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा; अर्थात्–

परन्तु यह कि यदि किसी माह में देय कर शून्य है तो ब्यौहारी ऐसी सूचना प्ररूप–6(क) में उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक दाखिल करेगा।

(ख) वर्तमान उपनियम (3) संशोधित किया जायेगा और संशोधित उपनियम निम्नलिखित रूप में पढ़ा जायेगा–

(3) यदि सावधिक विवरणी उपनियम (1) में विहित समय के अन्दर दाखिल नहीं की जाती है तो ब्यौहारी अथवा व्यक्ति निम्नलिखित रीति से गणना करके विलम्ब शुल्क का भुगतान करेगा–

1(अ). उपनियम (1) में दी गयी सारणी के क्रमांक 1 पर वर्गीकृत ब्यौहारियों अथवा व्यक्तियों से भिन्न के लिये–

सावधिक विवरणी के वास्तविक जमा की तारीख तक अथवा सम्बन्धित करनिर्धारण वर्ष की वार्षिक विवरणी के वास्तविक जमा की तारीख तक अथवा सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के कर निर्धारण किये जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, एक सप्ताह के विलम्ब अथवा उसके भाग के लिये 100 रूपये।

1(ब). उपनियम (1) में दी गयी सारणी के क्रमांक 1 पर वर्णित ब्यौहारियों अथवा व्यक्तियों के लिये–

सावधिक विवरणी के वास्तविक जमा की तारीख तक अथवा सम्बन्धित करनिर्धारण वर्ष की वार्षिक विवरणी के वास्तविक जमा की तारीख तक अथवा

सम्बन्धित करनिर्धारण वर्ष के करनिर्धारण किये जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो, एक सप्ताह के विलम्ब अथवा उसके भाग के लिये 200 रूपये।

परन्तु यह कि, विवरणी विलम्ब से दाखिल करने के लिये विलम्ब शुल्क के उपबन्ध, इस अधिनियम के अधीन देय कर, समाधान राशि अथवा स्रोत पर कटौती किये गये कर को विहित समय के अन्दर जमा न करने पर व्यौहारी अथवा व्यक्ति को ब्याज की देयता से मुक्त नहीं करेंगे तथापि उस मामले में, जहॉ समय बढ़ाने की प्रार्थना स्वीकार कर ली गयी है और विहित विलम्ब शुल्क जमा कर दिया गया है, वहॉ विलम्ब से विवरणी दाखिल करने के संबंध में धारा 58 के अर्थदण्ड संबंधी उपबन्ध तथा धारा 24 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अनन्तिम करनिर्धारण संबंधी उपबन्ध आकर्षित नहीं होंगे।

(ग) वर्तमान उपनियम (8) संशोधित किया जायेगा तथा संशोधित उपनियम निम्नलिखित रूप में पढ़ा जायेगा–

(8) यदि वार्षिक विवरणी उपनियम (6) में विहित समय के अन्दर दाखिल नहीं की जाती है तो व्यौहारी अथवा व्यक्ति निम्नलिखित रीति से गणना करके विलम्ब शुल्क भुगतान करेगा–

वार्षिक विवरणी के वास्तविक ज़मा करने की तारीख तक अथवा सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के करनिर्धारण किये जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो, एक सप्ताह के विलम्ब अथवा उसके भाग के लिये 200 रूपये।

नियम 22 में उपनियम (12) का जोड़ा जाना

3. "मूल नियमावली" के नियम 22 के वर्तमान उपनियम (11) के बाद निम्नलिखित नया उपनियम (12) जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्–

(12) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी कमिश्नर ऐसी तारीख से जिसे वह उचित समझे, सभी व्यवहारियों के लिए "मान्यता प्रमाण पत्र" का आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर सकता है और ई–जनरेटेड "मान्यता प्रमाण पत्र" जारी करने की प्रक्रिया लागू कर सकता है और इलैक्ट्रॉनिक व्यवस्था की सुविधा के लिए आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है और आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है तथा शासन को सूचित करते हुए प्रार्थना पत्र के प्रारूप और "मान्यता प्रमाण पत्र" के प्रारूप में आवश्यक संशोधन कर सकता है।

इस नियम के अध्याय VI में किसी बात के होते हुए यदि किसी ब्यौहारी को आवंटित टिन स्थगित कर दिया जाता है अथवा निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसे ब्यौहारी को जारी किया गया मान्यता प्रमाण पत्र उस तारीख से, जिस तारीख से टिन का स्थगन अथवा निरस्तीकरण प्रभावी किया गया है, स्थगित अथवा निरस्त समझा जायेगा।

नियम 23 का संशोधन

4. "मूल नियमावली" के नियम 23 में–

(क) विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

(2) कोई ब्यौहारी, जिसके पास "मान्यता प्रमाण पत्र" हो और जो धारा 4 की उपधारा (7) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट रियायत लेना चाहता हो, उस करनिर्धारक प्राधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में उसके व्यापार का मुख्य स्थान हो, घोषणा का प्रपत्र जारी करने के लिए आवेदन देगा। करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा घोषणा का प्रपत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा, जब तक कि ब्यौहारी द्वारा ₹ 5 प्रति प्रपत्र की दर से फीस का भुगतान न कर दिया गया हो। आवेदन पर नियम 7 के उपनियम (1) में उल्लिखित किसी भी एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(ख) विद्यमान उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

(3) यदि करनिर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उपनियम (2) के अन्तर्गत की गयी घोषणा पत्रों की मांग सही एवं उचित है, और सभी विवरणियॉ, देय कर व अन्य देयों के जमा के सबूत अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार दाखिल कर दिये गये हैं और ऐसी रियायती दर से खरीद अथवा बिक्री के सम्व्यवहार सावधिक विवरणियों में घोषित कर दिये गये हैं, वह ऐसी संख्या में, जितना वह उचित समझे, प्रपत्र जारी कर सकता है अथवा उनका ई–जनरेशन अनुमन्य कर सकता है।

परन्तु यह कि, ऐसा कोई प्रपत्र सादा (blank) जारी नहीं किया जायेगा और यह प्रपत्र ब्यौहारी द्वारा प्रपत्र 17(XI) (सावधिक विवरणी के अनुलग्नक 17(XI) के प्रारूप) में घोषित विक्रेतावार खरीद अथवा बिक्री के सम्व्यवहार के आधार पर जारी किये जायेंगे।

परन्तु यह और कि, कमिश्नर घोषणा पत्र जारी करने अथवा ई–जनरेट करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है और राजस्व की सुरक्षा के दृष्टिगत, ऐसी शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जिसमें चालू अथवा पूर्व वर्षों के प्रपत्रों को जारी किये जाने की समय–सीमा का अवधारण भी शामिल है, जैसा वह उचित समझे, लगा सकता है तथा यदि आवश्यक हो तो, शासन को सूचित करते हुए, घोषणा पत्र के प्रारूप में अथवा सावधिक विवरणियों के अनुलग्नक 17(XI) के प्रारूप में संशोधन कर सकता है।

(ग) विद्यमान उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

(4) विक्रेता ब्यौहारी को घोषणा प्रपत्र देने से पूर्व क्रेता ब्यौहारी या नियम 7 के

उपनियम (1) में उल्लिखित कोई व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि प्रपत्र पर सभी अपेक्षित ब्यौरे भरे हुए हैं और उस पर हस्ताक्षर करेगा। क्रेता ब्यौहारी प्रपत्र का प्रतिपर्ण अपने पास रख लेगा और दोनों अन्य भाग, जिस पर "मूल" और "दूसरी प्रति" अंकित होगा, विक्रेता ब्यौहारी को दे दिये जायेंगे।

(घ) विद्यमान उपनियम (18) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

(18) इस नियम में किसी बात के होते हुए कमिश्नर, मैनुअली भरे हुए प्रपत्र XI को जारी किये जाने की प्रक्रिया को, ऐसी तारीख से अथवा ऐसी तिमाही से जैसा वह उचित समझे, रोक कर सकता है और प्रपत्र XI हेतु ऑनलाईन प्रार्थना दाखिल करने तथा ई–जनरेट/डाऊनलोड किये गये प्रपत्र XI जारी करने की व्यवस्था लागू कर सकता है अथवा विभागीय वैबसाईट से प्रपत्र XI ब्यौहारी को स्वयं ई–जनरेट/डाऊनलोड करने की स्वीकृति प्रदान कर सकता है। प्रपत्रों को ऑनलाईन जनरेट/डाऊनलोड करके जारी किये जाने अथवा ब्यौहारियों द्वारा स्वयं ई–जनरेट/डाऊनलोड किया जाना अनुमन्य किये जाने के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 783/2013/181(120)/XXVII(8)/08,** dated July 03, 2013 for general information.

NOTIFICATION

July 03, 2013

No. 783/2013/181(120)/XXVII(8)/08--In exercise of powers conferred by section 71 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, The Governor is pleased to make the following rules with a *view* to further amend the Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005

The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2013

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force at once.

Amendment in Rule 11

2. In rule 11 of The Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005, hereinafter referred to as the "Principal Rules"-

(A), In the fourth column at serial no. 3 of the table as given in sub-rule (1), the following proviso shall be added; namely-

Provided that in case the tax due for a month is NIL the dealer shall submit such information in Form-VI(A) up to 25th of the succeeding month.

(B) The existing sub-rule(3), shall be amended, and the amended sub-rule shall be read as follows:-

(3) If periodical return is not filed within the time prescribed in sub-rule(1), the dealer or person, shall pay late fee by computing in the following manner-

1(a). For dealers or persons, other than those classified at sl.no. 1, of the table as given in sub-rule (1) :

Rs. 100 for delay of a week or part thereof, till the date of actual submission of such periodical return or till the date of actual submission of annual return for the relating assessment year or till the date of assessment for the relating assessment year, whichever is earlier.

1(b). For dealers or persons classified at sl.no. 1, of the table as given in sub-rule (1) :

Rs. 200 for delay of a week or part thereof, till the date of actual submission of such periodical return or till the date of actual submission of annual return for the relating assessment year or till the date of assessment for the relating assessment year, whichever is earlier.

Provided that the provision of late fee for late filing of return shall not exempt the dealer or person from its liability of interest for not depositing the tax, composition money or TDS due under the Act within the time prescribed. However, in case where the extension of time has been granted and prescribed late fee deposited, the penal provisions of section 58 relating to the late filing of return and provisions of clause (a) of sub-section (3) of Section 24 relating to provisional assessment for a period shall not be attracted.

(C) The existing sub-rule(8) shall be amended, and the amended sub-rule shall be read as follows:-

(8) If annual return is not filed within the time prescribed in sub-rule(**6**), the dealer or person, shall pay late fee by computing in the following manner-

1. Rs. 200, for delay of a week or part thereof till the date of actual submission of such annual return or till the date of assessment for the relating assessment year, whichever is earlier.

Addition of a new sub-rule (12) in Rule 22

3. In rule 22 of the "Principal Rule", after the existing sub-rule (11), the following new sub-rule (12) shall be added; namely-

(12) Notwithstanding anything contained in this rule, commissioner may, make it mandatory for all dealers to apply online for "recognition certificate" from a date, which he may deem fit and may implement the system of issue of e-generated "recognition certificate" and for the convenience of the e-system, make necessary provisions and issue necessary instructions and also make necessary amendments in the form of application and in the form of "recognition certificate", under intimation to the Government.

Notwithstanding anything contained in chapter VI of this rule, if TIN allotted to any dealer is suspended or cancelled the "recognition certificate" issued to such dealer shall be deemed to have been suspended or cancelled from the date on which such suspension or cancellation is made effective.

Amendment of Rule 23

4. In rule 23 of the "Principal Rule"-

(A) For the exiting sub-rule(2), the following sub-rule shall be substituted; namely-

(2) A dealer holding a recognition certificate who wishes to avail of the concession referred to in clause (a) of sub-section (7) of Section 4, shall apply to the Assessing Authority within whose jurisdiction his principal place of business is situated for the issue of declaration forms. No declaration form shall be issued by the Assessing Authority except on payment of the fee by the dealer at **the rate of rupees five per form. The application shall be signed by** one of the persons mentioned in sub-rule (1) of Rule7.

(B) For the exiting sub-rule(3), the following sub-rule shall be substituted; namely-

(3) If the assessing authority is satisfied that the demand for declaration forms referred to in sub-rule (2) is genuine and reasonable and all the returns and the proof of deposit of due tax and other dues have been submitted as per provision of the Act and the transactions of purchases or sales at such concessional rate have been declared in the periodical returns, it may issue or allow to e-generate such number of forms as it may deem fit.

Provided that, no such form shall be issued in blank and the issue of forms shall be on the basis of seller wise quarterly transactions of purchases or sales declared by the dealer in Form 17(XI)(the format of annexure 17(XI) of periodical return).

Provided further that, Commissioner may issue necessary instructions regarding issue or e-generation of declaration forms and for the safeguard of revenue impose such conditions or restrictions, including fixing the time limit for issue or e-

generation of forms for the current year or previous years, as he may deem fit and, if necessary, may amend the form of declaration or the form of annexure 17(XI) of periodical return under intimation to the Government.

(C) For the exiting sub-rule(4), the following sub-rule shall be substituted; namely-

(4) Before furnishing a declaration form to the selling dealer, the purchasing dealer or one of the person mentioned in sub-rule (1) of rule 7 shall ensure that all the required particulars are filled in the form and shall sign it. Thereafter the counterfoil of the form shall be retained by the purchasing dealer and the other two portions marked "Original" and "Duplicate" shall be hand over by him to the selling dealer.

(D) for the existing sub-rule (18), the following sub-rule shall be substituted; namely-

(18) Notwithstanding anything contained in this rule, commissioner may discontinue the system of issue of manually filled forms from a date or from a quarter, which he may deem fit and make it mandatory to apply online for the form and may implement the system of issuing e-generated/ downloaded forms to the dealers or allow them to e-generate/ download it themselves from the official website of the department. No fee shall be payable for the issue of e-generated/ downloaded form or for allowing the dealers to generate/ download it themselves.

By Order,

RAKESH SHARMA,
Principal Secretary.

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

16 जुलाई, 2013 ई0

पत्रांक 1782/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/पत्रा0–03/विधि–अनु0/13–14/देहरादून–ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून के पत्र संख्या–848/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0/वाद–अनु0/दे0दून/13–14/दिनांक 24–06–2013 द्वारा 01 पंजीकृत व्यापारी के पंजीयन निरस्त/निलम्बित किये जाने की सूचना से अवगत कराया है।

उक्त निरस्त/निलम्बित पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित 01 पंजीकृत व्यापारी की सूची संलग्न कर इस आशय से जारी की जा रही हैं कि सम्बन्धित व्यापारी द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन निरस्त की तिथि से अवैध मानी जाय।

प्रेषक,

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर,
देहरादून सम्भाग, देहरादून।

सेवा में,

आयुक्त कर (विधि–अनु0)
वाणिज्यकर, मुख्यालय देहरादून।

पत्रांक 848/ज्वा0कमि0(कार्य0)वाक0/वाद–अनुभाग/दे0दून/2013–14/ दिनांक 24 जून, 2013

महोदय,

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर ऋषिकेश के पत्रांक 111 दिनांक 18–06–2013 द्वारा सर्वश्री वैष्णवी ट्रेडिंग कं0 192 सहारनपुर रोड, देहरादून, टिन नं0 05000493658 के निलम्बन की सूचना का पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त सन्दर्भ में निवेदन है कि उक्त फर्म के निलम्बन की विज्ञप्ति जारी करने की कृपा करें।

अनिल सिंह
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्यकर,
देहरादून सम्भाग, देहरादून।

प्रेषक,

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–द्वितीय,
वाणिज्य कर, देहरादून।

सेवा में,

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
देहरादून सम्भाग, देहरादून।

पत्रांक 111/डि0कमि0(क0नि0)–2 वा0 क0 दे0दून/2013–14/ दिनांक 18–06–2013

महोदय,

निवेदन है कि इस कार्यालय में लोहा स्क्रेप के व्यापार हेतु प्रान्त एवं केन्द्र में पंजीकृत फर्म सर्वश्री वैष्णवी ट्रेडिंग कं0, 192 सहारनपुर रोड, जिसका टिन नं0 05000493658 है उक्त फर्म का प्रान्तीय एवं केन्द्रीय पंजीयन उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–18(1)/एवं केन्द्रीय अधिनियम की धारा 7(4) के अन्तर्गत दिनांक 08–05–2013 से निरस्त/Cancel कर दिया गया है।

अतः उक्त व्यापारी का टिन नं0–05000493658 निरस्तीकरण हेतु विज्ञप्ति जारी कराने हेतु अग्रप्रेषित करने की कृपा करें।

अरूण कुमार,
डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) द्वितीय,
वाणिज्य कर, देहरादून।

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

22 जुलाई, 2013 ई0

पत्रांक 1904 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0क0 / पत्रा0–03 / विधि–अनु0 / 13–14 / देहरादून–ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर के पत्र संख्या–992 / ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0का0 / 2012–13 / विधि–अनुभाग / दिनांक 03–07–2013 द्वारा 05 पंजीकृत व्यापारियों तथा पत्र संख्या 1182 दिनांक 15–07–2013 द्वारा 99 पंजीकृत व्यापारियों एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, हरिद्वार संभाग, हरिद्वार के पत्रांक 861 / ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0कर / 2013–14 / विधि–अनु0 / वाणिज्य कर / दिनांक 10–07–2013 के द्वारा 01 व्यापारी के पंजीयन निरस्त / निलम्बित किये जाने की सूचना से अवगत कराया है।

उक्त निरस्त / निलम्बित पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित पंजीकृत व्यापारियों की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि सम्बन्धित व्यापारी द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन निरस्त की तिथि से अवैध मानी जाय।

प्रेषक,

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(विधि–अनु0),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 992 / ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0का0 / 2013–14 / विधि–अनुभाग / दिनांक 03 जुलाई, 2013

महोदया,

काशीपुर संम्भाग काशीपुर के अंतर्गत आने वाले कार्यालय डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)प्रथम,वाणिज्य कर, रूद्रपुर के पत्र सख्या 175 दिनॉक 25–06–2013 द्वारा अवगत कराया है कि निम्न पंजीकृत व्यापारियों द्वारा त्रैमासिक विवरण पत्र दाखिल न करने पर वैट अधिनियम की धारा–17(7) के अन्तर्गत उनका पंजीयन तत्काल प्रभाव से (दिनॉक 25.06.2013को)निलम्बित कर दिया गया है, जिसकी सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है ।

कम संख्या	व्यापारी का नाम	टिन न0	व्यापार का प्रकार
1	सर्वश्री हेमकुण्ड ट्रैक्टस रूद्रपुर ।	05006704277	ट्रैक्टर्स एवं ट्रैक्टर्स पार्टस की खरीद बिक्री का
2	सर्वश्री जनरल पावर कम्पनी प्रा0लि0 पन्तनगर ।	05006371082	डिस्क इन्सुलेटर का निर्माण कर बिक्री का
3	सर्वश्री साईन प्लस प्रिंटिंग एण्ड पैंकेजिंग पन्तनगर ।	05007643431	पैंकिंग मैटेरियल का निर्माण कर बिक्री का
4	सर्वश्री शावक इंजिनियरिंग इन्नोवेशन प्रा0लि0 पन्तनगर ।	05010999922	रैक्स, पैनल्स का निर्माण कर बिक्री का
5	सर्वश्री कोमल मैटल फिनिशर्स पन्तनगर ।	05010064648	शीट मैटल कम्पोनेन्ट का निर्माण कर बिक्री का

एच0 एस0 नवियाल,
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

प्रेषक

डिप्टी कमिश्नर(क0नि0) –1
वाणिज्य कर, रूद्रपुर।

सेवा में,

ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर
काशीपुर संभाग,काशीपुर।

पत्रांक 175 /डि0कमि0वा0क0रू0/ दिनॉक 25 जून 2013

महोदय,

अवगत कराना है कि मेरे अधिकार क्षेत्र के निम्न व्यापारियों के द्वारा त्रैमासिक विवरण पत्र दाखिल न करने पर वैट अधिनियम की धारा–17(7) के अन्तर्गत उनका पंजीयन तत्काल प्रभाव से (दिनॉक 25.06.2013 को) निलम्बित कर दिया गया है–

क्रम संख्या	व्यापारी का नाम	टिन	व्यापार का प्रकार
1	सर्वश्री हेमकुण्ड ट्रैक्टस रूद्रपुर	05006704277	ट्रैक्टर्स एंव ट्रैक्टर्स पाटर्स की खरीद–बिकी
2	सर्वश्री जनरल पावर कम्पनी प्रा0लि0 पन्तनगर	05006371082	डिस्क इन्सुलेटर का निर्माण कर बिकी
3	सर्वश्री साईन प्लस प्रिंटिंग एण्ड पैकेजिंग **पंतनगर**	05007643431	पैकिंग मैटेरियल का निर्माण कर बिकी
4	सर्वश्री शातक इंजिनियरिंग इन्नोवेशन प्रा0लि0 पन्तनगर	05010999922	रैक्स,पैनल्स् का निर्माण कर बिकी
5	सर्वश्री कोमल मैटल फिनिशर्स पन्तनगर	05010064648	शीट मैटल कम्पोनेन्ट का निर्माण कर बिकी

अतः उक्त सूचना आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

अनूप गुप्ता,
डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)–1,
वाणिज्य कर,रूद्रपुर।

प्रेषक,

ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर
हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार

सेवा में,

आयुक्त कर
(विधि –अनुभाग)
देहरादून , उत्तराखण्ड ।

पत्रांक 861 /ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0कर0/2013–14/विधि–अनु0/वाणिज्य कर/दिनांक 10 जुलाई 2013

विषय–:: क0नि0 अधिकारी के स्तर से निरस्त किये गये पंजीयन की सूचना अग्रसारित किये जाने के संबंध में :–

महोदय,

निवेदन है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–3, रूडकी द्वारा निम्नलिखित व्यापारी का पंजियन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है :–

क0सं0	खण्डाधिकारी का नाम	व्यापारी का नाम	टिन नम्बर	प्रेषित पत्र की संख्या एव दिनांक
01	असिस्टेनट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–3, रूडकी	सर्वश्री श्री जी इन्टरनेशनल रूडकी	05011697740	270/03–06–13

अतः उपरोक्त पत्र की दो प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

हरीश चन्द्र भट्ट,
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार।

प्रेषक,

असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर
खण्ड–3,रूडकी।

सेवा में ,

ज्वाईन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर
हरिद्वार संभाग हरिद्वार ।

पत्रॉक 270 असि0कमि0वा0क0खण्ड–3,/रूडकी/प्रधान–सहायक/दिनॉक जून 03 , 2013

महोदय,

निवेदन है कि इस खण्ड के ब्यौहारी सर्वश्री श्री जी इन्टरनेशनल ,रूडकी, जिनका टिन संख्यॉ 05011697740 था, के पंजीयन को दिनॉक 01.04.2013 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। सूचना महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

तारकेश्वर मिश्र,
असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर,
खण्ड–3, रुड़की।

प्रेषक,

असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,

खण्ड–3, रुद्रपुर।

सेवा में,

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,

काशीपुर संभाग, काशीपुर।

पत्रांक 815 /2013–14 / असि0कमि0वा0क0रु0खंड–3 / दिनांक– 12 जुलाई, 2013

महोदय,

निवेदन है कि इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के 88 पंजीकृत व्यापारियों द्वारा प्रथम तिमाही वर्ष 2012–13 से त्रैमासिक रूपपत्र दाखिल नहीं किये जा रहे थे, जिसके कारण उक्त 99 पंजीकृत व्यापारियों का पंजीयन वैट अधिनियम की धारा–17(7) के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया गया है । उक्त व्यापारियों की सूची दो प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।

निखिलेश कुमार श्रीवास्तव,
असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
खण्ड–3, रुद्रपुर।

प्रेषक,

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग,काशीपुर ।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(विधि–अनुभाग)
उत्तराखण्ड,देहरादून ।

पत्रसं 1182 /ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0,का0 / 2012–13 / विधि–अनुभाग / दि0 जुलाई 15 2013

महोदया,

काशीपुर संम्भाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, खण्ड–3 रूद्रपुर के पत्र सख्या 315 दिनॉक 12–07–2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि 99 पंजीकृत व्यापारियों का पंजीयन वैट अधिनियम की धारा–17(7) के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया गया है । जिसकी सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नकः 99 व्यापारियों की सूची ।

धारा–17(7) के अन्तर्गत निलम्बित व्यापारियों की सूची			
क्र0सं0	व्यापारी का नाम	टिन नम्बर	निलम्बन की तिथि
1	सर्वश्री क्लासिक फर्नीचर्स रुद्रपुर	05004422158	08.05.2013
2	सर्वश्री कम्प्यूटर हाउस पन्तनगर	05004423031	08.05.2013
3	सर्वश्री कम्प्यूटर जोन रुद्रपुर	05010211797	08.05.2013
4	सर्वश्री एसोटैक लिमिटेड पन्तनगर	05006883436	08.05.2013
5	सर्वश्री बी0 एस0 इण्डस्ट्रीज, पन्तनगर	05006394362	08.05.2013
6	सर्वश्री बद्रर्स कम्प्यूटर्स रुद्रपुर	05009635035	08.05.2013
7	सर्वश्री कैक्शटन पैकेजिंग रुद्रपुर	05007915225	08.05.2013
8	सर्वश्री चण्डीगढ कन्स्ट्रक्शन रुद्रपुर	05010123624	08.05.2013
9	सर्वश्री चौहान प्रिन्टर्स रुद्रपुर	05010589321	08.05.2013
10	सर्वश्री आनन्द इण्टरप्राइजेज रुद्रपुर	05004601511	08.05.2013
11	सर्वश्री आशियाना बिल्डर्स रुद्रपुर	05008802484	08.05.2013
12	सर्वश्री अब्दुल रऊफ एण्ड ब्रदर्स	05004383261	08.05.2013
13	सर्वश्री अमिताज कैटरिंग सर्विस, हल्दी	05010959279	08.05.2013
14	सर्वश्री अरोरा फैन्सी स्टोर रुद्रपुर	05004400818	08.05.2013
15	सर्वश्री असीम बिल्डर्स रुद्रपुर	05009923125	08.05.2013
16	सर्वश्री एस0बी0जी0इन्फ्राकॉम प्रा0लि0 रुद्रपर	05007310042	04.05.2013
17	सर्वश्री रुद्रपुर सहकारी क्रय–विक्रय समिति	05004536521	04.05.2013
18	सर्वश्री एस0बी0एल0 कन्शट्रक्शन प्रा0 लि0	05007664577	04.05.2013
19	सर्वश्री एस0पी0एल0 मार्केटिंग रुद्रपुर	05008377236	04.05.2013
20	सर्वश्री शक्ति स्टील सेन्टर रुद्रपुर	05008600530	04.05.2013
21	सर्वश्री खुराना बिल्डिंग मैटीरियल रुद्रपुर	05011742360	04.05.2013
22	सर्वश्री सीजनल कन्सट्रक्शन कम्पनी रुद्रपुर	05007103238	04.05.2013
23	सर्वश्री संजय प्रिन्टिग प्रेस रुद्रपुर	05011433124	04.05.2013
24	सर्वश्री सांझा चूल्हा रुद्रपुर	05011650210	07.05.2013
25	सर्वश्री सकलानी ऑटोमोबाइल्स रुद्रपुर	05011784652	07.05.2013
26	सर्वश्री आर0के0 ऑफिस ऑटोमेशन रुद्रपुर	05007858189	07.05.2013
27	सर्वश्री राधिका इलैक्ट्रिकल्स रुद्रपुर	05009169338	07.05.2013
28	सर्वश्री आर0एस0 ट्रेडर्स रुद्रपुर	05009947278	07.05.2013
29	सर्वश्री आर0बी0एस0 ट्रेडर्स पन्तनगर	05010405894	07.05.2013
30	सर्वश्री आर0एस0 इण्टरप्राइजेज रुद्रपुर	05010872561	07.05.2013
31	सर्वश्री निर्मल सीड्स प्रा0 लि0 रुद्रपुर	05011297130	07.05.2013
32	सर्वश्री ऑन साइट आई0टी0 सोल्यूशन रुद्रपुर	05011711611	07.05.2013
33	सर्वश्री प्रकाश इण्टरप्राइजेज रुद्रपुर	05006579438	07.05.2013
34	सर्वश्री प्रखर मेडिकल स्टोर रुद्रपुर	05006687787	07.05.2013
35	सर्वश्री प्रोफेशनल ब्लॉक मेकर्स रुद्रपुर	05009182149	07.05.2013
36	सर्वश्री पैसिफिक इण्टरप्राइजेज रुद्रपुर	05010067655	07.05.2013

37	सर्वश्री पूजा कैमिकल्स रुद्रपुर	05008786382	07.05.2013
38	सर्वश्री मोबाइल प्लानेट रुद्रपुर	05006174948	07.05.2013
39	सर्वश्री मनोज इलैक्ट्रॉनिक्स रुद्रपुर	05009282052	07.05.2013
40	सर्वश्री एम0बी0 इलैक्ट्रॉ इण्ड0 प्रा0 लि0 रुद्रपुर	05009522224	07.05.2013
41	सर्वश्री मयूर स्क्रीन प्रिन्टर्स रुद्रपुर	05009635132	07.05.2013
42	सर्वश्री एम0एच0एल्यूमिनियम रुद्रपुर	05009624656	07.05.2013
43	सर्वश्री एम0एस0 इन्जीनियर्स रुद्रपुर	05009800323	07.05.2013
44	सर्वश्री मनीष कुमार रुदपुर	05010067558	07.05.2013
45	सर्वश्री मॉ वसन्धा डेवलपर्स रुद्रपुर	05010785164	07.05.2013
46	सर्वश्री सिंह इलैक्ट्रॉनिक्स, रूद्रपुर	05004565233	07.06.2013
47	सर्वश्री सॉई सेल्स कॉर्पोरेशन, रूद्रपुर	05008949439	07.06.2013
48	सर्वश्री श्री बालाजी इन्टरप्राईजेज, रूद्रपुर	05009587602	07.06.2013
49	सर्वश्री सॉई एसोसिएट्स, रूद्रपुर	05009893346	07.06.2013
50	सर्वश्री श्री सॉई इन्टरप्राईजेज, पंतनगर	05010193852	07.06.2013
51	सर्वश्री शुभम् सर्जिकल सेन्टर, पन्तनगर	05010346142	07.06.2013
52	सर्वश्री सिंघल एग्रीकल्चर इण्डस्ट्रीज, रूद्रपुर	05011157838	07.06.2013
53	सर्वश्री तनेजा ट्रेडिंग कम्पनी, रूद्रपुर	05004576679	07.06.2013
54	सर्वश्री तृषा ईको ग्रीन प्रा0लि0 रूद्रपुर	05007836073	07.06.2013
55	सर्वश्री तन्नू फुटवियर एण्ड गारमेन्टस, रूद्रपुर	05009348012	07.06.2013
56	सर्वश्री ठुकराल कलैक्शन, रूद्रपुर	05010703975	07.06.2013
57	सर्वश्री टैक्नाक्राफ्ट इन्जीनियरिंग सिस्टम, पन्तनगर	05011242422	07.06.2013
58	सर्वश्री तागरा स्टेशनर्स, रूद्रपुर	05011424103	07.06.2013
59	सर्वश्री यू0पी0एस0 सिस्टम, रूद्रपुर	05004584439	07.06.2013
60	सर्वश्री वसन्था ग्लोव्ज कन्शट्रक्शन, पन्तनगर	05006768103	07.06.2013
61	सर्वश्री जुफर केयर सर्विस, रूद्रपुर	05010147389	07.06.2013
62	सर्वश्री कृष्णा इण्टरप्राइजेज रुद्रपुर	05011058510	08.05.2013
63	सर्वश्री केजरीवाल एसोसियेट रुद्रपुर	05011122336	08.05.2013
64	सर्वश्री मोम्स किचन रुद्रपुर	05010826486	08.05.2013
65	सर्वश्री मदान इण्डस्ट्रीज रुद्रपुर	05011650792	08.05.2013
66	सर्वश्री लेकोनिक सोल्यूशन हल्दी	05010742096	08.05.2013
67	सर्वश्री लक्ष्मी अपैरिल्स रुद्रपुर	05007385120	08.05.2013
68	सर्वश्री कमल एण्ड एसोसिएट्स पन्तनगर	05006492429	08.05.2013
69	सर्वश्री कक्कड एजेन्सीज रुद्रपुर	05010024490	08.05.2013
70	सर्वश्री कुबेरदेवी ट्रेडिंग क0 रुद्रपुर	05010160290	08.05.2013
71	सर्वश्री के0एस0बी0 इण्टरप्राइजेज रुद्रपुर	05010315975	08.05.2013
72	सर्वश्री रुपकला इन्जीनियर्स रुद्रपुर	05009941361	08.05.2013
73	सर्वश्री किरन टूल्स सिंडीकेट रुद्रपुर	05008179938	08.05.2013
74	सर्वश्री प्राईम इन्जीनियर्स रुद्रपुर	05006915543	08.05.2013

75	सर्वश्री इलैक्ट्रॉ कन्ट्रोल रुद्रपुर	05010807377	14.05.2013
76	सर्वश्री ग्रोवर एजेन्सी रुद्रपुर	05004442334	14.05.2013
77	सर्वश्री गुलाटी इण्टरप्राइजेज रुद्रपुर	05004443207	14.05.2013
78	सर्वश्री डायमण्ड एजेन्सी रुद्रपुर	05004429433	14.05.2013
79	सर्वश्री ए0बी0 उद्योग पन्तनगर	05006479334	14.05.2013
80	सर्वश्री आकृति इण्टीरियर रुद्रपुर	05010752669	14.05.2013
81	सर्वश्री एक्मे पावर ट्रेडिंग क0 रुद्रपुर	05011063942	14.05.2013
82	सर्वश्री ए0जी0एस0 इण्टरप्राइजेज रुद्रपुर	05009997233	14.05.2013
83	सर्वश्री अमित स्टूडियो रुद्रपुर	05010929306	14.05.2013
84	सर्वश्री अनहद सेल्स रुद्रपुर	05010744909	14.05.2013
85	सर्वश्री अनुराग इण्टरप्राइजेज रुद्रपुर	05010325675	14.05.2013
86	सर्वश्री आशीर्वाद एल्युमिनियम एण्ड ग्लास वर्क्स रुद्रपुर	05009943107	14.05.2013
87	सर्वश्री अतिथि रेस्टोरेन्ट रुद्रपुर	05010340128	14.05.2013
88	सर्वश्री बाबा नाहर सिंह फुटवियर रुद्रपुर	05010886238	15.05.2013
89	सर्वश्री बंसल एण्ड कम्पनी रुद्रपुर	05008508574	15.05.2013
90	सर्वश्री बाठला इण्टरपाइजेज रुद्रपुर	05008498292	15.05.2013
91	सर्वश्री भारत प्लास्टिक रुद्रपुर	05010234204	15.05.2013
92	सर्वश्री भारत हाईड्रॉलिक्स रुद्रपुर	05009618351	15.05.2013
93	सर्वश्री सी0के0 इण्टरप्राइजेज रुद्रपुर	05009453742	15.05.2013
94	सर्वश्री चौहान फैब्रीकेशन रुद्रपर	05009951643	15.05.2013
95	सर्वश्री सिटी ब्रॉडबैण्ड रुद्रपुर	05010826389	15.05.2013
96	सर्वश्री बिन्नी गारमेन्टस रुद्रपुर	05004415562	15.05.2013
97	सर्वश्री क्राउन इण्टरप्राइजेज रुद्रपुर	05011424006	15.05.2013
98	सर्वश्री दीपक स्टील रुद्रपुर	05011419544	15.05.2013
99	सर्वश्री देव भूमि पॉवडर एण्ड कैमिकल्स रुद्रपुर	05011417604	15.05.2013

ह0 (अस्पष्ट)
कृते, ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर, सम्भाग, काशीपुर।

निखिलेश कुमार श्रीवास्तव,
असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
खण्ड–3, रुद्रपुर।

सौजन्या,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

30 जुलाई, 2013 ई0

पत्रांक 2054/आयु0करउत्तरा0/वाणि0क0/पत्रा0–01/विधि–अनुभाग/13–14/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–862/2010/19(120)/XXVII(8)/2012 दिनांक 29–07–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्धारण वर्ष 2013–14 से सम्बन्धित 30 जून, 2013 को समाप्त होने वाले त्रैमास की सावधिक विवरणी दिनांक 25 अगस्त, 2013 तक बिना विलम्ब शुल्क के दाखिल किये जाने से अवगत कराया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

29 जुलाई, 2013 ई0

सं0 862/2013/19(120)/XXVII(8)/2012–चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष, 2005) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35, सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए, कर के लिए दायी ब्यौहारी अथवा स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013–14 से सम्बन्धित 30 जून को समाप्त होने वाले त्रैमास की सावधिक विवरणी, 25 अगस्त, 2013 तक बिना विलम्ब शुल्क के दाखिल की जा सकती है, किन्तु कर/समाधान राशि अथवा टी0डी0एस0 का भुगतान नियम 11 में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर ही किया जायेगा।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 862/2013/19(120)/XXVII(8)/2012,** dated July 29, 2013 for general information.

NOTIFICATION

July 29, 2013

No. 862/2013/19(120)/XXVII(8)/2012--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 and section 35 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21, of the Uttar Pradesh General Clauses Act. 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), notwithstanding anything contained in rule 11 of the Uttarakhand VAT Rule, 2005, the Governor is pleased to declare that the periodical returns for the quarter ending June 30 related to the assessment year 2013-14 may be filed by a dealer liable to tax or a person responsible for deduction tax at source upto 25th August, 2013 without any late fee, provided that the payment of tax/ composition money or TDS shall be made within the time as prescribed in rule 11.

By Order,

RAKESH SHARMA,
Additional Chief Secretary, Finance.

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

01 अगस्त, 2013 ई0

पत्रांक 2161/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/पत्रा0–03/विधि–अनु0/13–14/देहरादून–ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार के पत्र संख्या–998/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0कर/2013–14/विधि–अनु0/वाणिज्य कर/दिनांक 27–07–2013 द्वारा 02 पंजीकृत व्यापारियों तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून के पत्र संख्या 1270/आई0टी0/वै0स0/2013–14/ज्वा0कमि0(कार्य0) वा0कर दे0दून/दिनांक 26–07–2013 द्वारा 01 पंजीकृत व्यापारी के पंजीयन निरस्त/निलम्बित किये जाने की सूचना से अवगत कराया है।

उक्त निरस्त/निलम्बित पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित पंजीकृत व्यापारियों की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि सम्बन्धित व्यापारी द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन निरस्त की तिथि से अवैध मानी जाय।

प्रेषक,

ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर
हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार

सेवा में,

आयुक्त कर
(विधि –अनुभाग)
देहरादून , उत्तराखण्ड ।

पत्रांक 998 /ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0कर0/2013–14/विधि–अनु0/वाणिज्य कर/दिनांक 27 जुलाई 2013

विषय–:: क0नि0 अधिकारी के स्तर से निरस्त किये गये पंजीयन की सूचना अग्रसारित किये जाने के संबंध में :–

महोदय,

निवेदन है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–3, रूड़की द्वारा निम्नलिखित व्यापारी का पंजियन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है :–

क0सं	व्यापारी का नाम व पता	टिन नम्बर	पंजीयन निरस्त करने की प्रभावी तिथि	प्रेषित पत्र की संख्या एव दिनांक
01	सर्वश्री. इन्टैक्स इण्डस्ट्रीज करौंदी भगवानपुर	05012363451	03–04–2013	338/25–07–13
03	सर्वश्री वी0एस0टैबैको कम्पनी लक्खेश्वरी भगवानपुर	05011341459	01–04–2013	337/25–07–13

अतः उपरोक्त पत्र की दो प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

ह0 (अस्पष्ट)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
हरिद्वार, सम्भाग, हरिद्वार।

प्रेषक,

असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर
खण्ड–3,रूडकी।

सेवा में,

ज्वाईन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर
हरिद्वार–संभाग, हरिद्वार।

पत्र संख्या 337/असि0कमि0वा0क0खण्ड–3/रुड़की/प्रधान–सहा0/2013–14/दिनांक 25–07–2013

महोदय,

निवेदन है कि सर्वश्री वी0एस0टैबैको कम्पनी, लक्खेश्वरी भगवानपुर को इस कार्यालय से प्रान्तीय एवं केन्द्रीय टिन संख्यॉ 05011341459 दिनॉक 10.10.2011(2011–12) निर्गत किया गया था। सर्वेक्षण के दौरान व्यापारी द्वारा घोषित व्यापार स्थल से व्यापार का संचालन नही किया जाना पाया गया। इस संबंध में व्यौहारी को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु सूचना पत्र के कम में व्यापारी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में मेरा विश्वास है कि सर्वश्री वी0एस0टैबैको लक्खेश्वरी भगवानपुर का पंजीयन बनाये रखना राजस्व हित में नही है। अतः धारा–18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कस्ते हुये दिनॉक 01.04.2013 से उक्त फर्म का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित की जा रही है।

प्रेषक,

असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर
खण्ड–3,रूडकी।

सेवा में,

ज्वाईन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर
हरिद्वार–संभाग, हरिद्वार।

पत्र संख्या 338/असि0कमि0वा0क0खण्ड–3/रुड़की/प्रधान–सहा0/2013–14/दिनांक 25–07–2013

महोदय,

निवेदन है कि सर्वश्री इन्टैक्स इन्डस्ट्रीज करौंदी– भगवानपुर को इस कार्यालय से प्रान्तीय एवं केन्द्रीय टिन संख्यॉ 05012363451 दिनॉक 12.09.2012(2012–13) निर्गत किया गया था। सर्वेक्षण के दौरान व्यापारी द्वारा घोषित व्यापार स्थल बंद पाया गया। इस संबंध में व्यौहारी को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु प्रेषित सूचना पत्र के कम में व्यापारी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में मेरा विश्वास है कि इन्टैक्स इन्डस्ट्रीज करौंदी– भगवानपुर का पंजीयन बनाये रखना राजस्व हित में नही है। अतः धारा–18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनॉक 03.04.2013 से उक्त फर्म का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित की जा रही है।

तारकेश्वर मिश्र,
असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर,
खण्ड–3, रुड़की।

प्रेषक,

ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक),वाणिज्य कर,
देहरादून सम्भाग,देहरादून।

सेवा में,

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
मुख्यालय देहरादून।

पत्र संख्या 1270 / आई0टी0 / वै0स0 / 2013–14 / ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0दे0दून, दिनांक 26 जुलाई, 2013

महोदया,

डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)–1, वाणिज्य कर देहरादून के पत्रांक 172 दिनांक 22–07–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जो कि सर्वश्री एस0जी0पी0 इण्डस्ट्रीज, 3 दून विहार जाखन देहरादून का पंजीयन धारा–81(1)(जी) के अन्तर्गत निरस्त करने पर निरस्तीकरण विज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में अग्रसारित करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है

उक्त पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित है।

अनिल सिंह,
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
देहरादून सम्भाग, देहरादून।

प्रेषक,

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–1
वाणिज्य कर देहरादून।

सेवा में,

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
देहरादून सम्भाग, देहरादून।

पत्रांक 172 / डि0कमि0(क0नि0)–1वा0क0दे0दून / 2013–14 / दे0दून, दिनांक 22–07–2013

महोदय,

निवेदन है कि इस कार्यालय में पंजीकृत फर्म सर्वश्री एस0जी0पी0 इण्डस्ट्रीज, 3 दून विहार जाखन देहरादून टिन नं0 05007446812 है। उक्त फर्म का पंजीयन उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 18(1)(जी) के अन्तर्गत दिनांक 20.07.2013 से निरस्त / कैन्सिल कर दिया गया है।

अतः उक्त व्यापारी का टिन नं0– 05007446812 निरस्तीकरण विज्ञप्ति जारी करने हेतु अग्रप्रेषित करने की कृपा करें।

प्रवीण कुमार,
डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–1,वाणिज्य कर,
देहरादून।

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

[उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 23(3) के अन्तर्गत]

08 अगस्त, 2013 ई0

पत्रांक 2285/आयु0करउत्तरा0/वाणि0क0/पत्रा0–01/विधि–अनुभाग/13–14/देहरादून–उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 23(3) के अन्तर्गत, पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 1897/आयु0करउत्तरा0/वाणि0क0/पत्रा0–01/विधि–अनुभाग/2013–14/देहरादून, दिनांक 20 जुलाई, 2013 को निरसित करते हुए निर्देशित किया जाता है:–

1– कि किसी भी करनिर्धारण अधिकारी द्वारा किसी भी अवधि का प्ररूप–11 में घोषणा का प्रपत्र, सादा(blank) जारी नहीं किया जायेगा। कर निर्धारण अधिकारी के यथा स्थान हस्ताक्षर रहित प्ररूप–11 मान्य नहीं होगा;

2– कि **प्ररूप–11, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत** प्रारूप–17(XI) में रियायती दर से क्रय के समस्त सम्व्यवहारों के विवरण (जो व्यापारी वार होगा और तीन प्रतियों में योग सहित दाखिल किया जायेगा) के आधार पर जारी किया जायेगा;

उक्त के होते हुए भी उ0 वन विकास निगम से टिम्बर क्रय करने की दशा में इनवाइस संख्या, दिनांक उपबन्ध न होने पर भी प्ररूप–11 जारी किया जा सकता है परन्तु शर्त यह है कि व्यापारी, 'निगम' द्वारा जारी "विक्रय अनुमोदन पत्र" की छाया प्रति एवं इसी के आधार पर संलग्न प्रारूप 17(XI) के कॉलम 1 से 3 तथा 7 से 11 में वांछित विवरण अंकित करके, दोनों पर हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेगा। कॉलम 12 में देय मण्डी शुल्क(वर्तमान में 2.5%) तथा तद्नुसार कॉलम 13 में राशि अंकित करेगा। वस्तु के विवरण संबधी कॉलम 7 में टिम्बर की प्रजाति व किस्म, अनुमोदन पत्र के अनुसार अंकित करना अनिवार्य होगा। ऐसे मामलों में कॉलम 13 में अंकित राशि हेतु प्रपत्र जारी किया जायेगा। विक्रेता को प्रपत्र देने से पूर्व व्यापारी कॉलम 4, 5 व 6 संबंधी इन्द्राज इनवाइस के अनुसार स्वयं अंकित करेगा।

3– कि एक त्रैमास से अधिक अवधि की खरीद के लिए एक प्ररूप–11 जारी नहीं किया जायेगा। यदि कोई सम्व्यवहार इस प्रकार का है कि विक्रेता द्वारा बिक्री का बीजक एक त्रैमास में जारी किया गया हो परन्तु क्रेता व्यापारी को माल अगले त्रैमास में प्राप्त हुआ हो एवं ऐसे क्रय को अगले त्रैमास में account for किया गया हो तो ऐसे सम्व्यवहार के लिए अलग से प्रपत्र जारी किया जायेगा। किन्तु ऐसे मामले में, निर्धारित प्रारूप में विवरण अलग से प्राप्त किया जायेगा;

4– कि उक्त के होते हुए भी प्ररूप–11 की मांग का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक देय सभी विवरणियॉ, देय कर अथवा अन्य देयों के जमा के सबूत प्रस्तुत करने के बाद ही प्ररूप–11 जारी किया जायेगा;

<u>कार्यालय प्रक्रिया</u>

वरिष्ठतम कर्मचारी द्वारा निम्न तथ्यों संबंधी रिपोर्ट करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी:–

(i) व्यापारी का मान्यता प्रमात्र पत्र प्रभावी है;

(ii) प्ररूप–11 हेतु देय फीस जमा है;

(iii) व्यापारी पर बकाया का विवरण;

(iv) प्ररूप–11 की मांग का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक देय सभी विवरणियॉ, देय कर अथवा अन्य देयों के जमा के सबूत दाखिल हैं;

तत्पश्चात् करनिर्धारण अधिकारी समुचित परीक्षणोपरान्त प्रपत्र जारी करने का निर्णय लेंगे अन्यथा विधि अनुसार कार्यवाही करेंगे।

2– कर्मचारी द्वारा प्ररूप–11 में जारी करने की दि0, क्रेता एवं विक्रेता का नाम, टिन संख्या, प्रभावी दि0 मान्यता प्रमाण पत्र संख्या, प्रभावी दिनांक, कार्यालय का नाम तथा अन्य विवरण यथा स्थान अंकित किए जायेंगे। प्रपत्र के अग्र भाग में जहां "क्रय किये गये माल का विवरण" अंकित है वहां "अनुलग्नक के अनुसार" अथवा "as per annexure" की मुहर अंकित की जायेगी, परन्तु "माल के मूल्य का योग", अंकों एवं शब्दों में प्रारूप–17(XI) के कॉलम 6 के अनुसार अंकित किया जायेगा परन्तु 'निगम' से टिम्बर क्रय के मामले में मूल्य, प्रारूप–17(XI) के कॉलम 13 के अनुसार अंकित किया जायेगा। संबंधित प्रारूप–17(XI) की एक प्रति प्ररूप–11 की मूल प्रति के पृष्ठ भाग पर तथा एक प्रति प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर चस्पा की जाएगी। तीसरी प्रति पत्रावली पर रखी जाएगी। तीनों प्रतियों पर कर्मचारी द्वारा दिनांकित हस्ताक्षर अंकित किए जायेंगे। तीसरी प्रति(कार्यालय प्रति) पर एवं प्रार्थना पत्र पर जारी किए गए प्रपत्र की संख्या अंकित की जायेगी।

करनिर्धारण अधिकारी, इन्द्राजों के परीक्षणोपरान्त इस प्रकार तैयार किए गए प्रपत्र में अंकित कुल राशि व प्रारूप–17(XI) की तीनों प्रतियों पर अंकित ऐसी राशि को गोलांकित कर यथा स्थान हस्ताक्षर करेंगे व नाम की मुहर लगवाऐंगे। प्रपत्र चस्पा वाले स्थान पर इस प्रकार हस्ताक्षर करेंगे कि हस्ताक्षर का आधा भाग प्रारूप–17(XI) पर तथा आधा भाग प्रपत्र पर आ जाय।

उक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ANNEXURE -17 (XI)

STATE PURCHASE AGAINST FORM 'XI'

1- TIN of the Dealer

2- Name and Address of the Dealer

3-Period To

4-List of State Purchase against Form 'XI' -

Sl. No.	Name and address of the Selling Dealer	TIN of the Seller	Invoice no	Invoice Date	Value Before tax	Description of goods	Quantity or weight	Sl No. of Vikraya Anumodan Patra of UK Van Vikas Nigam	Date	Total Value as per "Vikraya Anumodan Patra" of UK Van Vikas Nigam	Mandi Shulk due on value at col. 11	Total (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Note : column 9 to 13 are to be filled only by such Timber Purchasers who require Form XI on the basis of **"Vikraya Anumodan Patra"** issued by UK Van Vikas Nigam.

Signature
(Authorised Signatory)
Status-

(विधि–अनुभाग)

आदेश

[नियम 11 के उपनियम (12) के अन्तर्गत]

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

13 अगस्त, 2013 ई0

पत्रांक 2330/आयु0करउत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/12–13/देहरादून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 के उपनियम (1) में प्रावधानित तालिका में विनिर्दिष्ट व्यौहारी अथवा व्यक्तियों की श्रेणी द्वारा सावधिक विवरणी अनुलग्नकों सहित की प्रस्तुति वित्तीय वर्ष 2013–14 की प्रथम तिमाही से बेबसाइट पर आन लाइन Submit करना अनिवार्य है। अतः आन लाइन (On Line) पद्धति को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए वर्तमान में विहित सावधिक विवरणी में तत्काल प्रभाव से मूल प्रारूप को संशोधित एवं साविधिक विवरणी के निम्न अनुलग्नकों को विलोपित/बढ़ाया/संशोधित किया जाता है:–

1– प्रारूप III (संशोधित–1) सावधिक विवरणियों के प्रारूप को संशोधित किया जाता है।

2– प्रारूप III (संशोधित–1) में निम्न अनुलग्नक विलोपित किये जाते है:–

(i) अनुलग्नक 11
(ii) अनुलग्नक 14

3– प्रारूप III (संशोधित–1) में निम्न नये अनुलग्नक बढ़ाये जाते है:–

(i) अनुलग्नक 1(D)
(ii) अनुलग्नक 1(E)
(iii) अनुलग्नक 2(A)
(iv) अनुलग्नक 2(B)
(v) अनुलग्नक 3(A)

4– प्रारूप III (संशोधित–1) में निम्न अनुलग्नकों को संशोधित किया जाता है:–

(i) अनुलग्नक 3
(ii) अनुलग्नक 10
(iii) अनुलग्नक 12
(iv) अनुलग्नक 13
(v) अनुलग्नक 15
(vi) अनुलग्नक 16
(vii) अनुलग्नक 17(C)
(viii) अनुलग्नक 17(F)
(ix) अनुलग्नक 17 (H)
(x) अनुलग्नक 17(XI)
(xi) अनुलग्नक 17(I)
(xii) अनुलग्नक 17(J)

5– प्रारूप III B (संशोधित–1) के अनुलग्नक–01 को संशोधित किया जाता है:–

उक्त संशोधित व बढ़ाये गये अनुलग्नक प्रथम तिमाही (वर्ष 2013—14) से सावधिक विवरणी के भाग है, जो कि सावधिक विवरणी के अनुलग्नकों के रूप में विभागीय **बेबसाइट (Website)** पर उपलब्ध है।

FORM - III (Amended-1)

(U.K. VAT Rule 11)

PERIODICAL RETURN			
1. TIN of the dealer		**Select Return Type:**	ORIGINAL
3. Period of Return	Q1	**4. Assessment Year**	0
5(a).Name of dealer		**5(b). Address of dealer**	
A – "STATE TURNOVER"			
STATE - TAXABLE TURNOVER			
06-Taxable Sale To Regd. Dealers Vat Goods (Annexure 2)	0.00	08- Taxable Purchase u/s 3(10) (Annexure 1D)	0.00
07- Taxable Sale to Others (Vat Goods) (Annexure 2B)	0.00	09- Taxable Sale (Non Vat Goods) (Annexure 2A)	0.00
10- NTO (State) (06+07+08+09)	**0.00**		
STATE - NON TAXABLE TURNOVER			
11- Non Taxable Sale Sch.-I (Vat Goods)		12- Non Taxable Sale Otherwise (Vat Goods)	
13- Non Taxable Sale (Non Vat Goods)		14- TOTAL (State Non Taxable Turnover) (11+12+13)	**0.00**
15- GTO (State) (10+14)	**0.00**		
B – "INTERSTATE TURNOVER"			
INTERSTATE - TAXABLE TURNOVER			
16- Taxable Sale to Regd. Dealers (Annexure.3)	0.00	17- Taxable SaleTo Others (Annexure 3A)	0.00
18- NTO (Inter-State)(16+17)	**0.00**		
INTERSTATE - NON TAXABLE TURNOVER			
19- Non Taxable Sale Sch.-I Goods		20- Stock Transfer/Consignment Sale(Form-F) (Annexure.4)	0.00
21- Export Deemed(Form-H) (Annexure 5)	0.00	22- Sale in transit(Form-E1,E2) (Annexure 6)	0.00
23- Sale to SEZ dealers(Form-I) (Annexure 7)	0.00	24- Sale to International body(Form-J) (Annexure 8)	0.00
25- Export Direct (Annexure 9)	0.00	26- Non Taxable Sale Otherwise (Annexure 10)	0.00
27- TOTAL (INTERSTATE - NON TAXABLE TURNOVER)(19+20+21+22+23+24+25+26)	**0.00**	**28- GTO (Inter-State)(18+27)**	**0.00**
29- GTO (State + Inter State)(15+28)	**0.00**		
C - "OUTPUT TAX"			
"OUTPUT TAX" - ON STATE SALE OF - VAT GOODS			
30 (Annexure 2 + Annexure 2B) **TOTAL Basic Value**	**0.00**	**Total Tax Amount**	**0.00**

"OUTPUT TAX" - ON STATE PURCHASE OF - GOODS TAXABLE U/S 3(10) :				
31 (Annexure 1D)	**TOTAL Basic Value**	**0.00**	**Total Tax Amount**	**0.00**
"OUTPUT TAX" - ON STATE SALE OF - NON VAT GOODS:				
32 (Annexure 2A)	**TOTAL Basic Value**	**0.00**	**Total Tax Amount**	**0.00**
33	**OUTPUT TAX" (State) TOTAL (30+31+32)**	**0.00**		**0.00**
"OUTPUT TAX" - ON INTERSTATE SALE OF				
34 (Annexure 3,3A)	**"OUTPUT TAX" (Inter-State) TOTAL**	**0.00**		**0.00**
35	**TOTAL "OUTPUT TAX" (33+34)**	**0.00**		**0.00**

D – "PURCHASES"

STATE PURCHASE (NON CAPITAL GOODS)					
36- Purchase (from regd dealers)Taxable Vat Goods	0.00	36(A)-Purchase Against Form-XI	0.00	37- Purchase Exempt Vat Goods	
38- Purchase (from unregd. dealers)Vat Goods		39- Purchase Tax Paid (from regd. dealers)Non Vat Goods			0.00
40- Purchase (from unregd.)Non Vat Goods		41-Total State Purchase(non cap. Goods) (36+37+38+39+40)			**0.00**
STATE PURCHASE (CAPITAL GOODS)					
42- Purchase (from regd. dealers)Taxable Vat Goods	0.00	43-Purchase(from unregd. dealer)Taxable Vat Goods			
44- TOTAL STATE PURCHASE(CAP. GOODS)(42+43)	**0.00**	**TOTAL (STATE PURCHASE)(41+44)**			**0.00**
INTERSTATE PURCHASE / CONSIGNMENT-IN /STOCK TRANSFER-IN/"IMPORT" (from Outside Country)					
46- Interstate Purchase (against Form C) (Annexure 17C)	0	47- Interstate Purchase (against Form H) (Annexure 17H)			0.00
48- Interstate Purchase (against Form I/J)	0	49- Interstate Purchase (without Forms)			
50- Consignment-in/Stock Transfer (against Form F) (Annexure 17F)	0.00	51 Consignment-in/Stock Transfer (without Form F) and "IMPORT"			
52-Purchase Return/Consignment Return Annexure-11					

E - "INPUT TAX"				
STATE PURCHASES (FROM REGD. DEALERS) ON WHICH I.T.C. CLAIMED NON CAPITAL VAT GOODS				
53 (Annexure 1A)	**TOTAL Purchase Value**	0.00	**Total Tax Amount (Non Capital VAT Goods)**	0.00
FUEL :				
54 (Annexure 1C)	**TOTAL Purchase Value**	0.00	**Total Tax Amount (Fuel)**	0.00
CAPITAL GOODS :				
55 (Annexure 1B)	**TOTAL Purchase Value**	0.00	**Total Tax Amount (Capital Goods)**	0.00
ITC -CLAIMED:				
56- ITC On Non Capital Goods			57- ITC On Fuel	
58- ITC On Opening Stock			59- ITC On Capital Goods	
60- TOTAL ITC(56+57+58+59)		0.00	61- REVERSE TAX CREDIT DUE TO STOCK TRANSFER (attach details & computation) (Annexure 12)	0.00
62- REVERSE TAX CREDIT DUE TO OTHER REASONS (attach details) (Annexure 13)		0.00	**63-ITC – CLAIMED(60– 61 – 62)**	0.00
F – "TAX ACCOUNT"				
64- TOTAL OUTPUT TAX (STATE)=33		0.00	65- Tax Credit B / F From Prev. Return	
66- INPUT TAX CREDIT (ITC) - CLAIMED=63		0.00	67- Tax Credit On Sale Return (attach detail) (Annex. 14)	
68-Tax Credit For Other Reasons(attachdetail) (Annexure 15)		0.00	69 A- TDS (attach details) (Annexure 16) 0.00 69 B- Tax Deposited	
70- TOTAL TAX CREDIT(65+66+67+68+69A+69B)		0.00	71- NET TAX PAYABLE (STATE)(64-70)	0.00
72- NET TAX IN EXCESS(70-64)		0.00	73- TOTAL OUTPUT TAX (INTERSTATE)=34	0.00
74- NET CST PAYBLE(73-72)		0.00		
	75- REFUND CLAIMS(72-73)	0.00	76- TAX C/F (72-73)	0.00
G- "PAYMENT OF TAX AND OTHER DUES"				
77	TOTAL Tax Deposited (State)			
78	TOTAL Tax Deposited (CST)			

79	TOTAL Late Fee Deposited	
80	TOTAL INTEREST & OTHER DUES DEPOSITED	
81	By E-Payment	
82	**TOTAL AMOUNT DEPOSITED**	**0.00**

ANNEXURE-1D

TAXABLE PURCHASE U/S 3(10)

Sl.NO	Name of goods purchased	Purchase Price	Rate of tax	Sale Value Before Tax

ANNEXURE I-(E)

of Form III(Amended-1)

TAX PAID PURCHASE-NON VAT GOODS (Shedule-III goods)

1- TIN of the Dealer | | | | | | | | | | | |

2- Name and Address of the Dealer-

3- Period | | | | | | | To | | | | | | |

4- TIN wise Detail of TAX PAID PURCHASE-NON VAT GOODS (Shedule-III goods)

Sl.NO	Name of goods purchased	Name of the seller	TIN of the seller	Purchase Price including Tax
(i)				
(ii)				
TOTAL			((i)+(ii)+.....)	

Signature
(Authorised Signatory)
Status-

ANNEXURE-2(A)

TAXABLE SALE-NON VAT GOODS:-

Sl.NO	Name of goods sold	TIN of the purchaser if Registered	Sale Value Before tax	Rate of tax	Amount of Tax

ANNEXURE-2(B)

TAXABLE SALE TO DEALERS/PERSONS, OTHER THAN REGISTERED DEALERS RELATED TO VAT GOODS :-

Sl.NO	Name of goods sold	Sale Value Before tax	Rate of tax	Amount of Tax

ANNEXURE -3 A

of Form III (Amended-1)

INTER-STATE SALES To OTHER THAN REGISTERED DEALERS

1-TIN of the Dealer | | | | | | | | | | |

2- Name and Address of the Dealer-

3-Period | | | | | | | To | | | | | |

4- INTER STATE TAXABLE SALE TO DEALERS/PERSONS, OTHER THAN REGISTERED DEALERS

SI No	Name of goods sold	Sale Value Before tax	Rate of tax	Amount of Tax
(i)				
(ii)				
Total (i+ii+---)				

Signature
(Authorised Signatory)
Status-

ANNEXURE -3

of Form III (Amended-1)

INTER-STATE SALES

1-TIN of the Dealer | | | | | | | | | | | |

2- Name and Address of the Dealer-

3- Period | | | | | | | To | | | | | |

4- List Of Regd. Dealerwise Inter-State Sales

Sl. No.	Name and address of the Purchasing regd. dealer	Destination State	TIN of the purchasing regd. dealer	Sale invoice No.	Invoice date	Basic Sale Value(before Tax)	Rate of Tax	Amount of Tax
(i)								
(ii)								
Total				(i+ii+—)				

Signature
(Authorised Signatory)
Status-

ANNEXURE -10
of Form III (Amended-1)
NON TAXABLE INTER-STATE SALES (Otherwise)

1-TIN of the Dealer | | | | | | | | | | | |

2- Name and Address of the Dealer-

3-Period | | | | | | | To | | | | | |

4- LIST OF NON TAXABLE INTER-STATE SALES (Otherwise)-

Sl. No.	Name and address of the purchaser	Destination State	TIN of the purchaser (if any)	Sale Invoice No.	Invoice Date	Sale Value	Reason of non-taxability	Name of commodity
(i)								
(ii)								
TOTAL			(i+ii+---)					

Signature
(Authorised Signatory)
Status-

ANNEXURE -12

of Form III (Amended-1)

COMPUTATION OF REVERSE TAX CREDIT DUE TO STOCK TRANSFER

1-TIN of the Dealer | | | | | | | | | | |

2- Name and Address of the Dealer-

3-Period | | | | | | | To | | | | | |

4- Computation of reverse Tax Credit due to stock transfer

Enter Detail		
AMOUNT		

Signature
(Authorised Signatory)
Status-

ANNEXURE -13

of Form III (Amended-1)

COMPUTATION OF REVERSE TAX CREDIT DUE TO OTHER REASONS

1-TIN of the Dealer | | | | | | | | | | | |

2- Name and Address of the Dealer-

3-Period | | | | | | | To | | | | | |

4- Computation of reverse Tax Credit due to other reasons-

Enter Detail		
	Amount	

Signature
(Authorised Signatory)
Status-

ANNEXURE -15

of Form III(Amended-1)

TAX CREDIT FOR REASONS OTHER THAN SALE RETURN

1-TIN of the Dealer | | | | | | | | | | | |

2- Name and Address of the Dealer-

3-Period | | | | | | | To | | | | | | |

4- Details of tax credit for reasons other than sale return

Enter detail				
		Amount		

Signature
(Authorised Signatory)
Status-

ANNEXURE -16
of Form III (Amended-1)
TAX DEDUCTED AT SOURCE (TDS)

1- TIN of the Dealer

2- TDAN of the Person (if not a Regd. Dealer)

3- Name and Address of the Dealer

4-Period To

5- Details of TDS

Sl.NO	Name And Address Of The Employer or Person Who Deducted The Tax	TIN Of The Dealer From Whom TDS Deducted	Amount Of Payment On Which TDS Deducted	Date Of Payment	Amount Of TDS	Challan Number	Challan Date On Which TDS Deposited	Total Amount Of The Challan
(i)								
(ii)								
TOTAL				(i+ii+---)				

Signature
(Authorised Signatory)
Status-

ANNEXURE -17(C)

of Form III (Amended-1)

INVOICE WISE LIST OF INTERSTATE PURCHASE AGANIST FORM C

1- TIN of the Purchasing Dealer | | | | | | | | | | |

2- Effective Date of CST registration of the purchasing Dealer

3- Name and Address of the Purchasing Dealer

4-Period of return from | | | | | | To | | | | | |

5- Invoice wise List of Interstate Purchase against Form 'C'-

Sl. No.	Tin/ RC No of the Seller	Name of the Seller	Address of the Seller	State of the Seller	Purchase Order No	Purchase Date	Invoice No.	Invoice Date	Date on which the purchase accounted for if the invoice date falls before the tax period	Name of the Goods as per Invoice	Purpose	Amount Excluding Tax	Tax amount	Other charges	Sale Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(i)															
(ii)															
TOTAL							(i+ii+---)								

This may please be treated as my /our application for issuance of form 'c'

Signature

(Authorised Signatory)

Status-

ANNEXURE -17 (F)

of Form III (Amended-1)

LIST OF INTERSTATE CONSIGNMENT IN/STOCK TRANSFER –IN AGANIST FORM 'F'

1- TIN of the Transferee

2- Effective Date of CST registration of the Transferee

3- Name and Address of the Transferee

4-Period of return from To

5- List of Interstate Consignment in/Stock Transfer in against Form 'F'-

Sl. No	Name of the Transferor	Address of the Transferor	State of the Transfero	Tin/ RC No of the Transfero	Description of the goods sent	Quantity Or Weight	Unit	Value of goods	Number of Invoice/ challan or any other document under which goods were sent	Dated	Name of Railway, Steamer or Ferry Station or Airport or Post office or Road Transport Companies' office from where goods were dispatched	Number of railways Receipt or postal Receipt or goods receipt with trip sheet of lorry or any other document indicating the means of transport	Dated	Date on which delivery was taken by the transferee
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(i)														
(ii)														
TOTAL				(i+ii+---)										

This may please be treated as my /our application for issuance of form 'F '

Signature
(Authorised Signatory)
Status-

ANNEXURE -17 (H)

of Form III (Amended-1)

LIST OF INTERSTATE PURCHASE AGANIST FORM 'H'

1- TIN of the Exporter

2- Effective Date of CST registration of the Exporter

3- Name and Address of the Exporter

4-Period of return from To

5-List of Interstate purchases against Form "H'-

Sl. No.	Name of the Seller	Address of the Seller	State of the Seller	Tin R.C. No of the Seller	Purchase Order No.	Date of Order	Bill or Cash memo or Challan No.	Date	Date on which purchase accounted for if the invoice date falls before the tax period	Description of goods purchased as per document in column 8	Value of goods purchased	Quantity of goods purchase	Agreement order No in relation to export	Dated
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(i)														
(ii)														
TOTAL								(i+ii+---)						

This may please be treated as my /our application for issuance of form 'H'

Signature

(Authorised Signatory)

Status-

ANNEXURE -17 (XI)

of Form III (Amended-1)

(see UK VAT rule -23)

STATE PURCHASE AGAINST FORM 'XI'

1- TIN of the Dealer

2- Name and Address of the Dealer

3-Period To

4-List of State Purchase against Form 'XI' –

Sl. No.	Name and address of the Selling Dealer	TIN of the Seller	Invoice no	Invoice Date	Value Before tax	Description of goods	Quantity or weight	Sl No. of Vikraya Anumodan Patra of UK Van Vikas Nigam	Date	Total Value as per "Vikraya Anumodan Patra" of UK Van Vikas Nigam	Mandi Shulk due on value at col. 11	Total (11+12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(i)												
(ii)												
TOTAL					(i+ii+---)							

Signature

(Authorised Signatory)

Status-

ANNEXURE -17 (I)

of Form III (Amended-1)

(see rule (8) of CST (UK) rules 2006)

INTER STATE PURCHASE AGAINST FORM 'I'

1- TIN of the Dealer

2- Name and Address of the Dealer

3-Period To

4-List of Inter-State Purchase against Form 'I' -

Sl. No.	Name of the Selling Dealer	Address of the Selling Dealer	Originating State	TIN of the Seller	Invoice No.	Invoice Date	Value Before Tax	Description of Goods
1.								
Total of dealer No. 1								
2.								
Total of dealer No. 2								
Grand Total of dealer No. 1 + 2+3+.....								

Signature

(Authorised Signatory)

Status-

ANNEXURE -17 (J)

of Form III (Amended-1)

(see rule (8) of CST (UK) rules 2006)

INTER STATE PURCHASE AGAINST FORM 'J'

1- TIN of the Dealer

2- Name and Address of the Dealer

3-Period To

4-List of Inter-State Purchase against Form 'J' –

Sl. No.	Name of the Selling Dealer	Address of the Selling Dealer	Originating State	TIN of the Seller	Invoice No.	Invoice Date	Value Before Tax	Description of Goods
1.								
Total of dealer No. 1								
2.								
Total of dealer No. 2								
Grand Total of dealer No. 1 + 2+3+.....								

Signature

(Authorised Signatory)

Status-

ANNEXURE -01

of Form III(B) (Amended-1)

(see UK VAT rule-11)

DETAILS OF AMOUNT PAID TO REGISTERED SUB-CONTRACTORS

1- TIN of the Dealer | | | | | | | | | | | |

2- Name and Address of the Dealer

3-Period | | | | | | | To | | | | | |

4- Details of amount paid to registered sub-contractor

SI NO	TIN of Registered Sub contractor	Name of Reg Sub contractor	Address of Reg Sub contractor	Agreement No.	Date	Total amount of the Agreement	Amount paid to Sub contractor	TDS deducted from the Sub contractor (if any)

Signature
(Authorised Signatory)
Status-

सौजन्या,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

17 अगस्त, 2013 ई0

पत्रांक 2374/आयु0करउत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0–03/12–13/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या **936/2013/14(120)/XXVII(8)/2006** दिनांक 14–08–2013 की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासन के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

14 अगस्त, 2013 ई0

पत्रांक 936/2013/14(120)/XXVII(8)/2006–चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 14 के उपनियम (3), सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904)(उत्तराखंण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ऐसे संविदाकार, जिसके द्वारा उचित लेखे न रखे गये हों और जहॉ उसके द्वारा लेखे रखे गये हों, परन्तु उक्त नियम के उपनियम (2) में उल्लिखित मजदूरी और अन्य सेवाओं के प्रति उपगत वास्तविक प्रभार की धनराशियाँ तथा मजदूरी और अन्य सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित लाभ की राशियाँ व संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के विक्रय मूल्य का अभिनिश्चय किए जाने योग्य न हों तो, ऐसे मामले में, संबंधित संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त वस्तुओं का विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए संविदाकार द्वारा प्राप्त या प्राप्य कुल धनराशि में से निम्न तालिका के स्तम्भ 3 में अंकित धनराशि घटा दी जायेगी :–

तालिका

क्र0सं0	संविदा का प्रकार	संविदाकार द्वारा प्राप्त या प्राप्य कुल धनराशि में से घटायी जाने वाली राशि
1	2	3
1.	संयत्र और मशीन की संविरचना और संस्थापना।	10 प्रतिशत
2.	आयरन एवं स्टील के संरचनात्मक कार्यों की संविरचना और परिनिर्माण, जिसके अन्तर्गत लोहे की कैंची, पर्लिन और इसी तरह के दूसरे आयटम भी सम्मिलित हैं।	10 प्रतिशत
3.	क्रेन, उत्थापन यंत्र(lifts) और इस्केलेटर की संविरचना और संस्थापना।	10 प्रतिशत
4.	रोलिंग शटर और कोलेप्सिविल गेट की संविरचना और संस्थापना।	30 प्रतिशत
5.	सिविल कार्य जैसे भवनों, पुलों, सड़कों, बांधों, बैराजों, कैनाल, सीवेज(मल निष्कासन) एवं ड्रेनेज (जल निष्कासन), स्पिलवेज(उत्पलव मार्ग), डायवर्जनों का निर्माण, सुधार एवं मरम्मत।	30 प्रतिशत
6.	दरवाजों, दरवाजों के फ्रेमों, खिड़कियों के फ्रेमों और ग्रिलों की संस्थापना।	30 प्रतिशत
7.	टायल, स्लैब, पत्थरों और शीट्स का सम्भरण और लगाना।	30 प्रतिशत
8.	वातानुकूलन उपकरणों जिसके अन्तर्गत डीप फ्रिजर, कोल्ड स्टोरेज प्लान्ट, आद्रिकरण संयत्र और डीहयूमिडिटियर्स भी हैं, का सम्भरण और संस्थापना।	10 प्रतिशत
9.	वातानुकूलितों और वायु प्रशीतकों का सम्भरण और संस्थापना	10 प्रतिशत
10.	विद्युत के सामानों का सम्भरण और संस्थापन, विद्युत उपकरण जिसके अन्तर्गत ट्रांसफार्मर भी हैं, का सम्भरण और संस्थापन।	10 प्रतिशत
11.	फर्नीचर और फिक्सचर्स, पार्टिशन्स का सम्भरण और बैठाना जिसके अन्तर्गत आन्तरिक सजावट एवं फाल्स सिलिंग के लिए संविदा भी है।	10 प्रतिशत
12.	रेलवे द्वारा सम्भरित अन्डर कैरिजों व रेलवे कोच और वैगन का निर्माण।	10 प्रतिशत
13.	प्लम्बिंग के लिए, ड्रेनेज(जल निष्कासन) के लिए एवं सिवेज(मल निष्कासन) के लिए सेनेट्री फिटिंग्स।	30 प्रतिशत
14.	मोटर गाड़ियों के ढांचे(bodies) का निर्माण या फिट करना और ट्रेलरों का निर्माण।	10 प्रतिशत
15.	रंग–रोगन, पॉलिस एवं व्हाइट वाश।	40 प्रतिशत
16.	पाठन सामग्री, कार्ड्स, पम्पलैट्स, पोस्टर्स, बैनर्स एवं कार्यालय स्टेशनरी की छपाई।	40 प्रतिशत
17.	टायर रिट्रीडिंग।	40 प्रतिशत

1	2	3
18.	अग्निशमन और अग्नि की सूचना देने वाले उपकरण और डिवाईस का सम्भरण और संस्थापना।	10 प्रतिशत
19.	व्हेईग मशीन और व्हे ब्रिजेस का सम्भरण और संविरचना।	15 प्रतिशत
20.	कपड़ों की छपाई व रंगाई।	40 प्रतिशत
21.	चल सम्पत्ति के संबंध में, मरम्मत एवं मेन्टिनेंश, की संविदा।	30 प्रतिशत
22.	सभी अन्य संविदायें, जो क्रम संख्या 1 से 21 तक से आच्छादित नहीं है।	20 प्रतिशत

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 936/2013/14(120)/XXVII(8)/2006,** dated August 14, 2013 for general information.

NOTIFICATION

August 14, 2013

No. 936/2013/14(120)/XXVII(8)/2006--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of rule 14 of the Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005 read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, that in case where the contractor has not maintained proper accounts or if he has maintained the accounts but the amount actually incurred towards charges for labour and services mentioned in sub-rule (2) and profit relating to supply and of labour and services or sale price of goods involved in the execution of works contract is not ascertainable, the sale price of goods involved in the execution of works contract shall be determined by deducting the amount specified in column 3 of the following table from the total amount received or receivable by the contractor in respect of such works contract:-

Table

Sl. no.	Description of Work Contract	The amount deductible from the total amount received or receivable by the contractor
1	2	3
1	Fabrication and installation of plant and Machinery.	10 percent
2	Fabrication and Erection of Structural works of iron and steel including fabrication, supply and erection of iron trusses, purlines and other similar items.	10 percent
3	Fabrication and installation of Cranes, hoists elevators (lifts) and escalators.	10 percent
4	Fabrication and installation of rolling Shutters and collapsible gales.	30 percent
5	Civil work like Construction, improvement or repair any buildings, bridges, roads, dams, barrages, canals, sewages, and drainage system, spillways and diversions.	30 percent
6	Installation of doors, door frames, window frames and grills.	30 percent
7	Supplying and fixing of tiles, slabs, stones and sheets.	30 percent
8	Supplying and installation of air conditioning equipments including deep freezers, cold storage plants, humiditification and de-humiditiers.	10 percent
9	Supply and installation of air conditioners and air coolers.	10 percent
10	Supplying and fitting of electrical goods, supply and installation of electrical equipment including transformers.	10 percent
11	Supplying and fixing of furniture and fixtures partitions including contracts for interior decoration and false ceiling.	10 percent
12	Construction of railways coaches and wagons on under carriages supplied by railways.	10 percent
13	Sanitary fitting for plumbing, for drainage of sewage.	30 percent
14	Construction or mounting of bodies of motor vehicles and construction of trailers.	10 percent
15	Painting, polishing and white washing.	40 percent
16	Printing of reading materials, cards, pamphlets, posters, banners and office stationary	40 percent
17	Tyre re-treading.	40 percent

1	2	3
18	Supplying and installation of fire fighting and alarming equipment and devices.	10 percent
19	Supply and erection of weighing machines and weigh bridges.	15 percent
20	Dyeing and printing textiles.	40 percent
21	Repairs and maintenance contract of any movable property .	30 percent
22	All other works contract which are not covered by serial no. 1 to 21	20 percent

By Order,

RAKESH SHARMA,
Principal Secretary.

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

17 अगस्त, 2013 ई0

पत्रांक 2389/आयु0करउत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0–03/12–13/देहरादून–ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर के पत्र संख्या–1431/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0का0/2012–13/विधि–अनु0/दिनांक 07–08–2013, पत्र संख्या 1432 दिनांक 07–08–2013 एवं पत्र संख्या 1363 दिनांक 31–07–2013 द्वारा क्रमशः 02, 03 एवं 01 व्यापारियों पंजीयन निरस्त/निलम्बित किये जाने की सूचना से अवगत कराया है।

उक्त निरस्त/निलम्बित पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित 06 व्यापारियों की सूची संलग्न कर इस आशय से जारी की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारी द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन निरस्त/निलम्बन की तिथि से अवैध मानी जाय।

प्रेषक,

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग,काशीपुर ।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(विधि–अनुभाग)
उत्तराखण्ड,देहरादून ।

पत्र सं0 1431/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0का0/2012–13/विधि–अनुभाग/ **दि0 07 अगस्त, 2013**

महोदया,

काशीपुर संम्भाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)तृतीय, वाणिज्य कर, रूद्रपुर के पत्र सख्या 257 दिनॉक 03–08–2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि 02 पंजीकृत व्यापारियों का पंजीयन वैट अधिनियम की धारा–17(7) के अन्तर्गत दिनॉक 01.08.2013 को निलम्बित कर दिया गया है, जिसकी सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नकः 02 व्यापारियों की सूची ।

एच0 एस0 नवियाल,
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

प्रेषक,

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–3
वाणिज्य कर रूद्रपुर ।

सेवा में,

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर
काशीपुर सम्भाग काशीपुर ।

पत्रांक 257 / डि0कमि0क0नि0–3वा0क0रू0 / 2013–14 / **दि0 03–08–2013**

महोदय,

अवगत कराना है कि मेरे अधिकार क्षेत्र के निम्न व्यापारियों के द्वारा त्रैमासिक विवरण पत्र दाखिल न करने पर वैट अधिनियम की धारा–17(7) के अन्तर्गत उनका पंजीयन तत्काल प्रभाव से (दिनांक 01–08–2013 को) निलम्बित कर दिया गया है–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम	टिन	व्यापार का प्रकार
1	सर्वश्री राधा माधव कारपोरेशन लि0, प्लाट नं0 66 सेक्टर–04 सिडकुल पंतनगर।	**05007311691**	पैकिंग मैटेरियल
2	सर्वश्री श्री राम इण्टरप्राइजेज पंतनगर प्लाट नं0 22 सेक्टर–02 सिडकुल पंतनगर।	**05006387766**	पैकिंग मैटेरियल

अतः उक्त सूचना आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

एन0 एस0 बोरा,
डिप्टी कमिश्नर, (क0नि0) तृतीय,
वाणिज्य कर, रूद्रपुर।

प्रेषक,

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग,काशीपुर

सेवा में,

आयुक्त कर,
(विधि–अनुभाग)
उत्तराखण्ड,देहरादून ।

पत्र सं0 1432 / ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0का0 / 2012–13 / विधि–अनुभाग / **दि0 07 अगस्त, 2013**

महोदया,

काशीपुर संम्भाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)तृतीय, वाणिज्य कर, रूद्रपुर के पत्र सख्या 256 दिनॉक 02–08–2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि 03 पंजीकृत व्यापारियों का पंजीयन वैट अधिनियम की धारा–17(7) के अन्तर्गत दिनॉक 31.07.2013 को निलम्बित कर दिया गया है, जिसकी सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नकः 03 व्यापारियों की सूची ।

एच0 एस0 नवियाल,
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

प्रेषक,

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–3
वाणिज्य कर रूद्रपुर ।

सेवा में,

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर
काशीपुर सम्भाग काशीपुर ।

पत्रांक 256 / डि0कमि0क0नि0–3वा0क0रू0 / 2013–14 / **दि0 02–08–2013**

महोदय,

अवगत कराना है कि मेरे अधिकार क्षेत्र के निम्न व्यापारियों के द्वारा त्रैमासिक विवरण पत्र दाखिल न करने पर वैट अधिनियम की धारा–17(7) के अन्तर्गत उनका पंजीयन तत्काल प्रभाव से (दिनांक 31–07–2013 को) निलम्बित कर दिया गया है–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम	टिन	व्यापार का प्रकार
1	सर्वश्री कैटमास रिटैल, प्रा0लि0 दुर्गा मन्दिर गली रूद्रपुर।	**05007559138**	रेडीमेड वस्त्र खरीद एवं बिक्री
2	सर्वश्री जी0जे0फ्रीडम फेशनर्स, प्रा0 संत बाबा लाल सिंह जी मार्ग, रूद्रपुर।	**05007988848**	रेडीमेड वस्त्र खरीद एवं बिक्री
3	सर्वश्री एक्सल इण्डिया लि0, प्लाट नं0 1 सेक्टर–12 सिडकुल पंतनगर।	**05009598369**	आटोपार्टस निर्माण/बिक्री

अतः उक्त सूचना आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

एन0 एस0 बोरा,
डिप्टी कमिश्नर, (क0नि0) तृतीय,
वाणिज्य कर, रूद्रपुर।

प्रेषक,

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर
काशीपुर संभाग काशीपुर ।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(विधि–अनुभाग)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र सं0 1363 / ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0काशी0 / 2013–14 / विधि–अनु0 / पंजीयन निरस्त / दिनांक 31 जुलाई, 2013

महोदय,

निवेदन है कि काशीपुर संभाग काशीपुर के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) प्रथम वाणिज्य कर काशीपुर के पत्र संख्या–393 दिनांक 30.07.2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री शमा इण्टरप्राईजेज, मौहल्ला– लक्ष्मीपुर पट्टी, काशीपुर टिन 0510078713 का प्रान्तीय व केन्द्रीय पंजीयन तत्काल प्रभाव से दिनांक 30.07.2013 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जिसकी सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

एच0 एस0 नवियाल,
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

प्रेषक,

डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)प्रथम,
वाणिज्य कर,काशीपुर।

सेवा में,

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0)वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग,काशीपुर।

पत्र सं0 393 / डि0कमि0(क0नि0) प्र0,वा0क0का0 / 2013–14 / दिनांक काशीपुर 30 जुलाई, 2013

महोदय,

कृपया **इस कार्यालय में पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री शमा इण्टरप्राइजेज ,मौहल्ला–लक्ष्मीपुर पट्टी ,काशीपुर टिन नं0 05010078713 प्रभावी दिनांक 13.07.2010 का प्रांतीय व केन्द्रीय पंजीयन दिनांक 30.07.2013 को निरस्त** कर दिया गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि **इस कार्यालय में पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री शमा इण्टरप्राइजेज ,मौहल्ला–लक्ष्मीपुर पट्टी ,काशीपुर टिन नं0 05010078713 प्रभावी दिनांक 13.07.2010 का प्रांतीय व केन्द्रीय पंजीयन दिनांक 30.07.2013 को निरस्त की सूचना** मुख्यालय प्रेषित करने की कृपा करें।

एल0 के0 खुल्बे
डिप्टी कमिश्नर, (क0नि0) प्रथम,
वाणिज्य कर, काशीपुर।

सौजन्या,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

23 अगस्त, 2013 ई0

विषयः– शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 2012 के द्वारा उपखनिजों पर कर के बदले देय समाधान राशि हेतु जारी 'समाधान योजना' में निर्धारित समाधान राशि पर, उपखनिजों की कर की दर में परिवर्तन का प्रभाव।

पत्रांक 2455/आयु0करउत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0–01/12–13/देहरादून–उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या **751/2013/55(120)/XXVII(8)/2001** दिनांक 22–08–2013 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 02–05–2013 के द्वारा कर की दर में परिवर्तन के कारण योजना की शेष अवधि दिनांक 02–05–2013 से 30–09–2014 के लिए Clause (b) के अनुसार आनुपातिक रूप से परिवर्तित समाधान राशि निर्धारित करते हुये अवगत कराया गया है।

उपरोक्त शासन के पत्र की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संख्या 751/2013/55(120)/XXVII(8)/2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग–8) दिनांक : देहरादून : 22 अगस्त, 2013

विषय : शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 2012 के द्वारा उपखनिजों पर कर के बदले देय समाधान राशि हेतु जारी "समाधान योजना" में निर्धारित समाधान राशि पर, उपखनिजों की कर की दर में परिवर्तन का प्रभाव।

महोदया,

कृपया उक्त विषयक अपने पत्र सं0 1309 दिनांक 19 जून, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें। इस सन्दर्भ में, न्याय विभाग के परामर्श के उपरान्त सूचित किया जाता है कि शारानादेश दिनांक 06 नवम्बर, 2012 से निर्गत समाधान योजना, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गयी थी। इस उपधारा के अन्तर्गत प्राविधानित क्लॉज बी(clause (b)) इस योजना पर स्वतः ही प्रभावी है। अतः योजना की अवधि के मध्य, विज्ञप्ति दिनांक 02 मई, 2013 के द्वारा उपखनिजों पर कर की दर में किए गए परिवर्तन के कारण, योजना /कर निर्धारण की शेष अवधि (दिनांक 02 मई, 2013 एवं उसके पश्चात्) हेतु समाधान राशि में स्वतः ही, आप द्वारा सूचित किया गया आनुपातिक परिवर्तन हो गया है जो निम्न प्रकार है–

(क) वन क्षेत्रों की सीमा में नदियों से खनन/खदान/चुगान करके उपखनिजों की बिक्री पर समाधान धनराशि–

समाधान योजना के अनुसार दिनांक 01–10–2012 से 30–09–2014 की अवधि के लिए निर्धारित समाधान राशि	विज्ञप्ति दिनांक 02–05–2013 के द्वारा कर की दर में परिवर्तन के कारण योजना की शेष अवधि दिनांक 02–05–2013 से 30–09–2014 के लिए Clause(b) के अनुसार आनुपातिक रूप से परिवर्तित समाधान राशि निर्धारित दर
(क) रेता(जिसमें मोरंग भी शामिल है) 8.493 रु0 प्रति टन	(क) नदी की रेत/बालू (जिसमें मोरंग भी शामिल है) 8.493 रु0 प्रति टन (कोई परिवर्तन नहीं)
(ख) बजरी 6.817 रु0 प्रति टन	(ख) नदी की बजरी 6.817 रु0 प्रति टन (कोई परिवर्तन नहीं)
(ग) बोल्डर 6.075 रु0 प्रति टन (जिसमें सभी प्रकार के पत्थर शामिल हैं)	(ग) बोल्डर 16.402 रु0 प्रति टन (जिसमें सभी प्रकार के पत्थर शामिल हैं) (आनुपातिक रूप से परिवर्तित)
(घ) दड़ा 5.764 रु0 प्रति टन	(घ) दड़ा 16.617 रु0 प्रति टन (आनुपातिक रूप से परिवर्तित)

(ख) वन क्षेत्रों से भिन्न अन्य क्षेत्रों की सीमा में नदियों से खनन/खदान/चुगान करके उपखनिजों की बिक्री पर समाधान–

समाधान योजना दिनांक 06–11–2012 के अनुसार दिनांक 01–10–2012 से 30–09–2014 की अवधि के लिए निर्धारित समाधान राशि	विज्ञप्ति दिनांक 02–05–2013 के द्वारा कर की दर में परिवर्तन के कारण योजना की शेष अवधि दिनांक 02–05–2013 से 30–09–2014 के लिए Clause(b) के अनुसार आनुपातिक रूप से परिवर्तित समाधान राशि
(क) रेता(जिसमें मोरंग शामिल है) 7.293 रु0 प्रति टन	(क) नदी की रेत/बालू (जिसमें मोरंग शामिल है) 7.293 रु0 प्रति टन (कोई परिवर्तन नहीं)
(ख) बजरी 7.285 रु0 प्रति टन	(ख) नदी की बजरी 7.285 रु0 प्रति टन (कोई परिवर्तन नहीं)

(ग) बोल्डर 5.118 रु0 प्रति टन (जिसमें सभी प्रकार के पत्थर शामिल हैं)	(ग) बोल्डर 13.819 रु0 प्रति टन (जिसमें सभी प्रकार के पत्थर शामिल हैं) (आनुपातिक रूप से परिवर्तित)

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें/करायें।

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य, सचिव।

आई0 एस0 बृजवाल,
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

24 अगस्त, 2013 ई0

पत्रांक 2471/आयु0करउत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0–03/12–13/देहरादून–ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर के पत्र संख्या–1519/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0का0/2012–13/विधि–अनु0/दिनांक 14–08–2013, द्वारा 49 पंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन निरस्त/निलम्बित किये जाने की सूचना से अवगत कराया गया है।

उक्त निरस्त/निलम्बित पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित 49 व्यापारियों की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन निरस्त की तिथि से अवैध मानी जाय।

प्रेषक,

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग,काशीपुर ।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(विधि–अनुभाग)
उत्तराखण्ड,देहरादून ।

पत्र सं0 1519/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0का0/2012–13/विधि–अनुभाग/ दिनांक 14 अगस्त, 2013

महोदया,

काशीपुर संम्भाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड–2 काशीपुर के पत्र सख्या 449 दिनॉक 08–08–2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि 49 पंजीकृत व्यापारियों का पंजीयन वैट अधिनियम की धारा–17(7) के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया गया है, जिसकी सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है ।

एच0 एस0 नवियाल,
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

प्रेषक

असिस्टैंट कमिश्नर वाणिज्यकर,
खण्ड–02 काशीपुर।

सेवा में,

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग काशीपुर।

पत्रांक 449/2013–14/असि0कमि0वा0क0,का0ख0–02 **दिनांक 08 अगस्त, 2013**

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 1435 दिनांक 07–08–2013 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 की चतुर्थ तिमाही की सावधिक विवरणी दाखिल न करने के कारण मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 17(7) के अंतर्गत जिन व्यापारियों के पंजीयन निलंबित किये गये हैं कि सूची मूल रूप में इस निर्देश के साथ वापस प्रेषित की गयी थी कि सूची को पुनः तैयार कर तथा व्यापारी के पंजीयन निलम्बित होने की तिथि का उल्लेख करते हुए संभागीय कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त के अनुपालन में उक्त व्यापारियों की सूची पंजीयन निलंबित किये जाने के दिनांक के उल्लेख सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको सूचनार्थ प्रेषित की जा रही हैं।

सादर प्रेषित

क0सं0	टिन	व्यापारी का नाम	निलंबन की तिथि
1	5008519632	सर्वश्री ए0के0एस0टैक्नोलोजी काशीपुर।	22–07–2013
2	5008592382	सर्वश्री आदिनाथ ग्रीन एनर्जी काशीपुर।	22–07–2013
3	5009103960	सर्वश्री एग्रो बेदी एजेंसी बाजपुर।	22–07–2013
4	5008856513	सर्वश्री आकांक्षा ग्लास इंपोरियम काशीपुर।	22–07–2013
5	5009463733	सर्वश्री अमीर अहमद ठेक़ेदार बाजपुर।	22–07–2013
6	5007230502	सर्वश्री आनन्द इलैक्ट्रोनिक्स काशीपुर।	22–07–2013
7	5011568342	सर्वश्री अनिल कुमार काशीपुर।	22–07–2013
8	5002484680	सर्वश्री अन्नपूर्णा स्वीट हाउस काशीपुर।	22–07–2013
9	5010706788	सर्वश्री अनवार हुसैन कांट्रेक्टर बाजपुर।	22–07–2013
10	5010901079	सर्वश्री आसिम फर्टिलाईजर बाजपुर।	22–07–2013
11	5009619903	सर्वश्री अजीज एण्ड संस बाजपुर।	22–07–2013
12	5008415745	सर्वश्री बाबा रहमत स्पेयर पार्टस बाजपुर।	22–07–2013
13	5006957932	सर्वश्री बंसल इलैक्ट्रिकल्स बाजपुर।	22–07–2013
14	5002493216	सर्वश्री बंसल इण्टरप्राईजेज काशीपुर।	22–07–2013
15	5002499521	सर्वश्री बोधराज एण्ड संस बाजपुर।	22–07–2013
16	5002506117	सर्वश्री दशमेश फर्टिलाइजर एण्ड पेस्टीसाइड बाजपुर।	22–07–2013

17	5007455833	सर्वश्री दिल्ली बूट हाउस बाजपुर।	22–07–2013
18	5010015469	सर्वश्री दिनेश भारती कांट्रेक्टर बाजपुर।	22–07–2013
19	5007219929	सर्वश्री दिपिन कैमिकल्स बाजपुर।	22–07–2013
20	5006517067	सर्वश्री गुरू हरि कृष्णा फिलिंग स्टेशन काशीपुर।	22–07–2013
21	5009744257	सर्वश्री हसन ट्रेडर्स काशीपुर।	22–07–2013
22	5011685615	सर्वश्री जय गोपाल ट्रेडर्स बाजपुर।	22–07–2013
23	5011772042	सर्वश्री केनम इण्ड0काशीपुर।	22–07–2013
24	5011251928	सर्वश्री कश्यप पेस्टीसाइड बाजपुर।	22–07–2013
25	5011590264	सर्वश्री ख्वाजा सीमेंट स्टोर काशीपुर।	22–07–2013
26	5009167689	सर्वश्री कृषि विकास केन्द्र बाजपुर।	22–07–2013
27	5002546954	सर्वश्री लक्ष्मण दास जय किसन दास बाजपुर।	22–07–2013
28	5008071395	सर्वश्री लक्ष्मी ट्रेडर्स काशीपुर।	22–07–2013
29	5009687512	सर्वश्री महाल सी0एफ0एल0 इण्ड0काशीपुर।	22–07–2013
30	5008700828	सर्वश्री मोबीन ट्रेडर्स बाजपुर।	22–07–2013
31	5012201267	सर्वश्री नानक स्वीट हाउस बाजपुर।	22–07–2013
32	5012364324	सर्वश्री नूरी जनरल स्टोर बाजपुर।	22–07–2013
33	5005699551	सर्वश्री ओम गिफ्ट गैलरी बाजपुर।	22–07–2013
34	5009555204	सर्वश्री राज बैग्स काशीपुर।	22–07–2013
35	5002576054	सर्वश्री राज इण्टर0काशीपुर।	22–07–2013
36	5007273861	सर्वश्री राम मोटर्स काशीपुर।	22–07–2013
37	5002588276	सर्वश्री सतना सीमेंट एजेंसी बाजपुर।	22–07–2013
38	5011102548	सर्वश्री श्री हेमकुण्ठ साहिब इण्टर0बाजपुर।	22–07–2013
39	5008415939	सर्वश्री श्री सॉई पेंटस काशीपुर।	22–07–2013
40	5008228147	सर्वश्री श्री राम पेंट स्टोर काशीपुर।	22–07–2013
41	5011811909	सर्वश्री श्री सिद्धू फर्टि0बाजपुर।	22–07–2013
42	5002600207	सर्वश्री सिमरन पेस्टीसाइडस एण्ड सीड्स बाजपुर।	22–07–2013
43	5011772139	सर्वश्री विन्सर इण्ड0काशीपुर।	22–07–2013
44	5012203013	सर्वश्री अनिल चन्द्र सेन कांट्रेक्टर काशीपुर।	03–08–2013
45	5002505244	सर्वश्री दलजीत सिंह कांट्रेक्टर बाजपुर।	03–08–2013
46	5007002455	सर्वश्री हनीफ ट्रेडिंग कंपनी बाजपुर।	03–08–2013
47	5008607223	सर्वश्री शमा इण्टर0काशीपुर।	03–08–2013
48	5007430128	सर्वश्री शरीफ ट्रैडर्स बाजपुर।	03–08–2013
49	5007687178	सर्वश्री शर्मा ट्रेडर्स बाजपुर।	03–08–2013

हेमलता शुक्ला,
असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर,
खण्ड–02, काशीपुर।

सौजन्या,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

09 अक्टूबर, 2013 ई0

पत्रांक 3128/आयु0करउत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0–03/12–13/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या **1150/2010/19(120)/XXVII(8)/2012** दिनांक 07–10–2013 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम–2005 के नियम–11 में ऐसे व्यौहारी (कम्पनी को छोड़कर) एवं ऐसे व्यक्ति (कम्पनी को छोड़कर) जो आपदाग्रस्त रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी अथवा पिथौरागढ़ जनपद में विज्ञप्ति जारी होने की दिनाँक तक पंजीकृत है, के लिए कर–निर्धारण वर्ष 2013–14 की प्रथम तीन त्रैमास की सावधिक विवरणियाँ विलम्ब शुल्क का भुगतान किए बिना दिनाँक 25–04–2014 तक दाखिल किये जाने से अवगत कराया गया है।

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

07 अक्टूबर, 2013 ई0

सं0 1150/2013/19(120)/XXVII(8)/2012–चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष, 2005) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए, ऐसे ब्यौहारी (कम्पनी को छोड़कर) एवं ऐसे व्यक्ति(कम्पनी को छोड़कर) जो आपदाग्रस्त रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी अथवा पिथौरागढ़ जनपद में इस विज्ञप्ति के जारी होने की दिनांक तक पंजीकृत हैं एवं अधिनियम के अन्तर्गत कर के लिए दायी हैं अथवा अधिनियम की धारा 35 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी हैं, द्वारा करनिर्धारण वर्ष 2013–14 से संबंधित, दिनांक 30 जून, दिनांक 30 सितम्बर एवं दिनांक 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले त्रैमास की सावधिक विवरणियॉं, विलम्ब शुल्क का भुगतान किए बिना 25 अप्रैल, 2014 तक दाखिल की जा सकती हैं किन्तु कर/समाधान राशि अथवा टी0डी0एस0 का भुगतान नियम 11 में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर ही किया जायेगा।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 1150/2013/19(120)/XXVII(8)/2012,** dated October 07, 2013 for general information.

NOTIFICATION

October 07, 2013

No. 1150/2013/19(120)/XXVII(8)/2012--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 and section 35 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21, of the Uttar Pradesh General Clauses Act. 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), notwithstanding anything contained in rule 11 of the Uttarakhand VAT Rule, 2005, the Governor is pleased to declare that the dealers (other than the companies) and the persons(other than the companies) who upto the date of issue of this notification are registered in the disaster affected districts of Rudraprayag, Chamoli, Uttarkashi or Pithoragarh and are liable to tax under the Act or responsible for making deduction of tax at source under the provisions of section 35 of the Act, may file their periodical returns for the periods, quarter ending 30 June, quarter ending 30 September and quarter ending December 31 relating to the assessment year 2013-14 upto 25th April, 2014 without payment of late fee; provided that the payment of tax/ composition money or TDS shall be made within the time as prescribed in rule 11.

By Order,

RAKESH SHARMA,
Additional Chief Secretary.

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 48 हिन्दी गजट/616–भाग 1–क–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।